इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-12-2013-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावें :—

अनुसूची

तहसील : इन्दरगढ़ जिला : दतिया

क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	**मूल ग्राम** सुनारी प.ह.नं. 38	**नवीन ग्राम** 01 सुनारी फैक्ट्री 02 नवीन ग्राम-मेहदोरा प.ह.नं. 38	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला दतिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-12-2013-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-12-2013-सात-शा. 6 दिनांक 16 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 16th October 2014

No. F. 15-12-2013-VII-Sec. 6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tahsil : Indargardh District : Datia

S. No.	Name of original village	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	**Org. Village** Sunari P. H. No.38	**New Villages** 01-Sunari Factory. 02-Mehdora P. H. No.38	Superintendent of Land Records, (permanent) District Datia.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. RAJAK, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-25-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20, सन् 1959) की धारा 108(2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : आगर **जिला : आगर मालवा**

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	01. मूल ग्राम—हड़ाई 02. नवीन ग्राम—कबीर खेड़ा प.ह.नं. 013.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला आगर मालवा.
2.	01. मूल ग्राम—पालड़ा 02. नवीन ग्राम—खेड़ा सुल्तानपुरा 03. नवीन ग्राम—बूढ़ा डूंगर प.ह.नं. 022.	
3.	01. मूल ग्राम—फतेहपुर मेढ़की 02. नवीन ग्राम—मानाखेरी प.ह.नं. 028.	
4.	01. मूल ग्राम—बाजना 02. नवीन ग्राम—बाजना का खेड़ा प.ह.नं. 028.	
5.	01. मूल ग्राम—बरखेड़ी बडौद 02. नवीन ग्राम—बरखेड़ी खुर्द प.ह.नं. 09.	
6.	01. मूल ग्राम—खेड़ा नरेला 02. नवीन ग्राम—खेड़ा चौहान प.ह.नं. 014.	

तहसील : सुसनेर **जिला : आगर मालवा**

(1)	(2)	(3)
1.	01. मूल ग्राम—सोयतखुर्द 02. नवीन ग्राम—अमानपुरा 03. नवीन ग्राम—विकपुरा प.ह.नं. 011.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला आगर मालवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

पृ. क्र. एफ. 15-25-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-25-2013-सात-6 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 28th October 2014

F. No. 15-25-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 (2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Agar **District : Agar Malwa**

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	01. Org. Vill.—Hadic 02. New Vill.—Kabir Kheda P.H.No.—13.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Agar Malwa.
2.	01. Org. Vill.—Palda 02. New Vill.—Kheda Sultanpura 03. New Vill.—Buda Dugar P.H.No.—22.	
3.	01. Org. Vill.—Phatehpur Mendki 02. New Vill.—Manakheri P.H.No.—28.	
4.	01. Org. Vill.—Bajana 02. New Vill.—Bajna ka kheda P.H.No.—28.	
5.	01. Org. Vill.—Barkhedi Barod 02. New Vill.—Barkhedi Khurd P.H.No.—09.	
6.	01. Org. Vill.—Kheda Narola 02. New Vill.—Kheda Chohan P.H.No.—14.	

Tahsil : Susner **District : Agar Malwa**

1.	01. Org. Vill.—Soyat Khurd 02. New Vill.—Amanpura 03. New Vill.—Bikpura P.H.No.—011.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Agar Malwa.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
S. K. RAJAK, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-1-2014-सात शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20, सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित समामेलित राजस्व ग्राम के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : दमोह **जिला : दमोह**

क्रमांक	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कलेक्टर दमोह के प्रकरण क्रमांक 1-अ/3 वर्ष 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2007 द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 19/71 का ग्राम कुलुआ उर्फ मारूताल और उसमें समामेलित ग्राम राजनगर रैयतवारी.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (भू-प्रबंधन) जिला दमोह.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-1-2014-सात शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-1-2014-सात-शा. 6 दिनांक 31 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 30th October 2014

No. F. 15-1-2014-VII-Sec. 6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the amalgamated revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tahsil : Damoh **District : Damoh**

S. No.	Name of original village	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	**Amalgamated revenue village Kulua *urf*** Marutal and village Rajnagar Raiyatwari of Patwari Halka No. 19/71 vide order No. 1-A/3/2006-07 dated 5-6-2007 of the Collector.	Superintendent of Land Records, Bhu-Prabandhan) District Damoh.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
S. K. RAJAK, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

फा. क्र. 1(बी)-08-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री रामप्रकाश सिंह तोमर, अधिवक्ता, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-08-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मदनलाल अग्रवाल अधिवक्ता, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-08-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रामनिवास सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री रूप सिंह तोमर अधिवक्ता, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले की तहसील अम्बाह के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-08-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रमेश कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल वर्मा अधिवक्ता, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले की तहसील सबलगढ़ के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-08-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रामभजन सिंह पाल पुत्र स्व. श्री हरी सिंह पाल अधिवक्ता, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

फा. क्र. 1(अ)3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा महाअधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त श्री स्वपनिल गांगुली, उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 8 अगस्त 2014 से 7 अगस्त 2015 तक एतद्द्वारा वृद्धि करता है.

फा. क्र. 1(बी)-229-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री परमानंद वरवनिया पुत्र श्री गोवर्धनलालजी वरवनिया अधिवक्ता, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला उज्जैन सत्र खण्ड तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

फा. क्र. 1(बी)-9-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अभय दुबे पुत्र श्री रमेशचन्द्र दुबे अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-9-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रामसेवक वर्मा पुत्र श्री मिठ्ठूलाल वर्मा अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-9-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री बाबूलाल मण्डलोई पुत्र स्व. श्री चैतराम मण्डलोई अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

फा. क्र. 17(ई)165-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 26 जून 1992 द्वारा मुख्यालय, जबलपुर जिला जबलपुर में नियुक्त नोटरी, श्री बाबूलाल मिश्र का दिनांक 16 दिसम्बर 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17(ई)166-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 24 फरवरी 1998 द्वारा तहसील, बैहर जिला बालाघाट में नियुक्त नोटरी, श्री लिलार सिंह ठाकुर का दिनांक 14 फरवरी 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. खेर, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्र. एफ. 2-99-2011-1-पचपन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. एस. एस. मिश्रा, प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है.

2. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पृथक् से जारी की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 2771.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील इन्दौर जिला इन्दौर के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
ग्राम **पेड़मी,** पटवारी हल्का नम्बर 35 एवं पृथक् किया गया क्षेत्रफल 263.067 हेक्टेयर	**तेलियाखेड़ी** पटवारी हल्का नंबर 35

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

क्र.-भू-अभि.-2014-1570.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
ग्राम बोरगांवखुर्द, ह. नं. 09 402.63 हेक्टर ग्राम बिरोदा, ह. नं. 01, 605.54 हेक्टर	ग्राम गारबर्डी, ह. नं. 09 ग्राम भोलाना, ह. नं. 01

जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्र.1823.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—सुनवाह प. ह. नं. 55	गोरखी, प. ह. नं. 55
सुनवाह का कुल क्षेत्रफल-576.001 विभाजन पश्चात् :— सुनवाह का कुल क्षेत्रफल-281.779 गोरखी का कुल क्षेत्रफल-294.222	

क्र.1824.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम के तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—पड़रई, प. ह. नं. 69	बूढ़ा प. ह. नं. 69
पड़रई का कुल क्षेत्रफल-866.288 विभाजन पश्चात् :— पड़रई का कुल क्षेत्रफल-442.924 बूढ़ा का कुल क्षेत्रफल-423.364	

क्र.1826.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बाड़ी, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—गाजीखेड़ी, प. ह. नं. 29	सिलगैना टोला, प. ह. नं. 29
गाजीखेड़ी का कुल क्षेत्रफल-653.279 विभाजन पश्चात् :— गाजीखेड़ी का कुल क्षेत्रफल-337.683 सिलगैना टोला का कुल क्षेत्रफल-315.596	

क्र.1827.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—मुशकाबाद, प. ह. नं. 8	शक्तिटोला, प. ह. नं. 8
मुशकाबाद का कुल क्षेत्रफल-370.456 विभाजन पश्चात् :— मुशकाबाद का कुल क्षेत्रफल-192.982 शक्तिटोला का कुल क्षेत्रफल-177.474	

क्र.1828.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—शाहपुर, प. ह. नं. 13	मोदाटोला, प. ह. नं. 13
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-1626.429	
विभाजन पश्चात् :—	
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-970.403	
मादाटोला का कुल क्षेत्रफल-202.650	

क्र.1829.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—शाहपुर प. ह. नं. 13	भगवन्तपुरा प. ह. नं. 13
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-1626.429	
विभाजन पश्चात् :—	
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-970.403	
भगवन्तपुर का कुल क्षेत्रफल-453.376	

क्र. —मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम—कीरतपुर, प. ह. नं. 2	रम्पुरा दाखली प. ह. नं. 2
कीरतपुर का कुल क्षेत्रफल-713.390	
विभाजन पश्चात् :—	
कीरतपुर का कुल क्षेत्रफल-369.430	
रम्पुरा दाखली का कुल क्षेत्रफल-343.360	

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र.7020-वित्त-1-2014.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2011-वित्त-1-2014 सिवनी, दिनांक 20-9-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कार्यालय में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.

01. श्री जे. समीर लकरा, अतिरिक्त कलेक्टर/अति. जिला दण्डाधिकारी प्रभारी अधिकारी :—

1. भू-अर्जन शाखा
2. लायसेंस शाखा-(गन लायसेंस का नवीनीकरण)
3. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिये नोडल अधिकारी.
4. माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के लिये नोडल अधिकारी.
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

02. श्री सौरभ कुमार सुमन, अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी केवलारी-प्रभारी अधिकारी :—

1. सभी अधिकारियों की दौरा डायरियों के अनुमोदन
2. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना.
3. सभी तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति/पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिये नोडल अधिकारी.
4. विभागीय जांच अधिकारी
5. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा
6. पुरातत्व शाखा
7. खनिज शाखा
8. लोक सेवा प्रबंधक शाखा
9. ई-गर्वेनेश शाखा
10. नवाचार एवं पी. पी. पी. मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी.
11. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

03. श्री एस. सी. परस्ते, संयुक्त कलेक्टर-प्रभारी अधिकारी :—

1. वित्त-स्थापना
2. कर्मचारी कल्याण शाखा
3. अल्प बचत शाखा
4. नजूल शाखा
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

04. श्रीमती आशा कुसरे, संयुक्त कलेक्टर-प्रभारी अधिकारी:—

1. भू-अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद
2. आडिट शाखा
3. प्रभारी अधिकारी, सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी.
4. सिटीजन चार्टर
5. जनगणना शाखा
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

05. सुश्री सुनीता खण्डाइत, डिप्टी कलेक्टर-प्रभारी अधिकारी :—

1. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ
2. मान. मंत्री, सांसद, विधायगणों/लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.
3. समाधान आन लाइन/जनसुनवाई प्रकोष्ट
4. प्रस्तुतकार, राजस्व मोहर्रिर (कलेक्टर न्यायालय)
5. अधिक अन्न उपजाओं शाखा/सिविल सूट
6. नाजरात शाखा
7. खाद्य शाखा
8. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

06. सुश्री लता पाठक, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी सिवनी ग्रामीण-प्रभारी अधिकारी :—

1. राजस्व लेखापाल शाखा/राहत शाखा
2. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा
3. प्रेषक एवं मुद्रण शाखा
4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

06. श्री के. सी. परते, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी-प्रभारी अधिकारी :—

1. जिला सत्कार अधिकारी, जिला सिवनी
2. जिला जेल/नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड/सांख्यिकी शाखा
3. मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा
4. आंग्ल एवं राजस्व अभिलेखाकार
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

07. श्री राकेश मरकाम, डिप्टी कलेक्टर-प्रभारी अधिकारी :—

1. प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण सिवनी.
2. सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा
3. वरिष्ठ लिपिक शाखा
4. सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत समस्त कार्य, जिला चिकित्सालय की समस्त व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी.
6. राज्य परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी.
7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक आफीसर	द्वितीय लिंक आफीसर
1	श्री जे. समीर लकरा	श्री सौरभ कुमार सुमन	श्री एस. सी. परस्ते
2	श्री सौरभ कुमार सुमन	श्री राकेश मरकाम	श्री के. सी. परते
3	श्री एस. सी. परस्ते	श्रीमती आशा कुसरे	सुश्री सुनीता खण्डाइत
4	श्रीमती आशा कुसरे	श्री एस. सी. परस्ते	सुश्री सुनीता खण्डाइत
5	सुश्री सुनीता खण्डाइत	श्री राकेश मरकाम	श्रीमती आशा कुसरे
6	सुश्री लता पाठक	श्री के. सी. परते	श्री राकेश मरकाम
7	श्री के. सी. परते	सुश्री लता पाठक	श्री राकेश मरकाम
8	श्री राकेश मरकाम	सुश्री सुनीता खण्डाइत	श्री के. सी. परते

भरत यादव
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

क्र. 3-278-93-12-खनिज एम. एल..—खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के उपनियम 1(बी) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निम्न क्षेत्र जिसके पूर्व में स्वीकृत खनि पट्टे का विवरण नीचे दिया गया है, इस हेतु अधीन सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाश के 30 दिवस बाद से या उस दिन अवकाश होने की दशा में दूसरे दिन कार्यालयीन समय में, खनि रियायल के आवेदन-पत्र स्वीकार किये जावेंगे :—

क्षेत्र एवं पूर्व में स्वीकृत खनिज पट्टे का ब्यौरा

1. खनिज का नाम	शैल
2. स्वीकृत क्षेत्र का विवरण	ग्राम कनघट्टी तहसील मल्लाहगढ़ जिला मंदसौर.

सर्वे नं.	रकबा
1585/1 Meen 1 में से	7.00 है.
2095 में से	13.00 है.
2115 में से	20.00 है.
2123/1 Meen 1 में से	8.00 है.
कुल	48.00 है.

3. स्वीकृति खनि पट्टेदार	श्री रमेशचंद्र, हेमकुमार पिता काशीराम निवासी पिपलियामण्डी, तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर.
4. अन्य विवरण	म. प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश एफ 3-13/05/12-1, दिनांक 2-4-2012 द्वारा ग्राम कनघट्टी में स्वीकृत खनिपट्टा, पट्टेदार श्री रमेशचंद्र, हेमकुमार के नाम से 20 वर्ष हेतु रकबा 24.90 है. नवीनीकरण स्वीकृत किया गया है. स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में से ऊपर वर्णित कण्डिका 2 में दर्शाया गया रकबा खनिज पट्टे क्षेत्र में कम किया है. अतएव खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 के अंतर्गत उल्लेखित क्षेत्र 48.00 है. को खनि रियायत के आवेदनों हेतु एतद्द्वारा खुला घोषित किया जाता है.

संजीव सिंह, कलेक्टर.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. 6874-2862-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
1	कु. पिंकी जीवनानी	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. 6872-2883-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्न-पत्र प्रक्रिया तथा लेखा तृतीय (सहायक वन संरक्षकों के लिए-पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
1	सुश्री मीना कुमारी मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
2	श्री ओ. पी. सिंह बघेल	सहायक वन संरक्षक
	इंदौर संभाग	
3	श्री शरद चन्द्र दुबे	वन क्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
4	कु. तुष्टि सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
5	कु. विद्या गिनारे	वन क्षेत्रपाल
6	श्री राजकुमार अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
7	श्री अनिल कुमार नेती	वन क्षेत्रपाल
8	श्री संतोष मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल

क्र. 6869-2789-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23-7-2014 को प्रश्नपत्र-कार्यालय संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	कु. अंजू अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री नरेन्द्र कुमार कोरी	कराधान सहायक
3	श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
4	कु. सिम्मी जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी
5	श्रीमती निशांकी सिंघई	वाणिज्यिक कर अधिकारी
6	श्री कुमार अभिषेक खरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	इंदौर संभाग	
7	श्री विमलेश राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
8	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9	श्रीव राधेश्याम सोलंकी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
10	कु. तनूजा मालवीय	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
11	श्री अशोक कुमार गौतम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
12	सुश्री सविता मकवाना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्री महेश बघेल	कराधान सहायक
14	कु. मधुबाला कश्यप	कराधान सहायक
15	श्री कुम्भकरण मौर्य	वाणिज्यिक कर अधिकारी
16	कु. चित्रांशी डामोर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
	जबलपुर संभाग	
17	श्री संतोष कुमार बघेल	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
18	श्री रामानन्द मेश्राम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
19	डॉ. आलोक मिश्रा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
20	श्री दिनेश सिंह तौमर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
21	श्री रामवीर सिंह राजपूत	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री सुनील सैनी	कराधान सहायक
2	कु. सायमा फातमा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	कु. आकांक्षा सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	सुश्री मनीषा वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	कु. पूनम परिहार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
6	श्री मुकुल कुमार गुप्ता	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
7	श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
8	श्रीमती अंजली मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	इंदौर संभाग	
9	श्रीमती आस्था द्विवेदी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
10	श्री हेमन्त खरे	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
11	कु. प्रियम् माहेश्वरी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
12	श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	डॉ. दीप्ति गुप्ता	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
14	श्री कमलेश पाटीदार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
15	समिता मुराड़िया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
16	श्रीमती प्रियंका सोहगौरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री हरीश चौरसिया	कराधान सहायक
18	श्री जीतेन्द्र विश्वकर्मा	कराधान सहायक
19	श्री लालविनोद प्रताप सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	श्री शैवाल सिंह	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
21	श्री प्रकाश सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
22	कु. शीतल मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी
23	सुश्री आरती यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	कु. सुलेखा नामदेव	कराधान सहायक
25	श्री राम भदौरिया	कराधान सहायक
26	श्री अरविन्द भदकारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-245-10-तीन-131.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** से जबाव (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अत: **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** को दिनांक 28 अक्टूबर 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेतन प्रस्तुत करना था. किन्तु **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती अनीता विश्वकर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद गुढ़, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-245-10-तीन-132.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती साधना सोनी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सावर्जनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्रीमती साधना सोनी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती साधना सोनी** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती साधना सोनी** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती साधना सोनी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती साधना सोनी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. अतः **श्रीमती साधना सोनी** को दिनांक 27 अक्टूबर 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेतन प्रस्तुत करना था. किन्तु **श्रीमती साधना सोनी** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती साधना सोनी** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती साधना सोनी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती साधना सोनी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती साधना सोनी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 34-स्था.निर्वा.-मण्डी-137-2014.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम-2010 के अन्तर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि उपज मण्डी समिति 179 राजनगर	श्री रामविशाल शर्मा पिता श्री विन्द्रावन शर्मा, निवासी गंज ग्राम व पोस्ट गंज तहसील राजनगर, जिला छतरपुर.	मण्डी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ)

मसूद अख्तर,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र.-सा.-2-मंडी निर्वा.-14.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर जिला उज्जैन मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत डॉ. श्री मोहन यादव, विधायक, विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण, को जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन	डॉ. श्री मोहन यादव, विधायक	धारा 11 (1) (घ)

उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्र.-सा.-2-मंडी निर्वा.-2014-9362.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर जिला उज्जैन मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत श्री सतीश राजवानी 87, आजाद नगर, देवास रोड, उज्जैन को जिले के निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन	श्री सतीश राजवानी 87, आजाद नगर, देवास रोड, उज्जैन.	धारा 11 (1) (घ)

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

(दूरभाष व फेक्स क्रमांक 07325-254022-ई-मेल slrbur2@gmail.com)

बुरहानपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

क्र. भू-अभि-2014-1568.—निम्न अनुसूची में अंकित जिले की तहसील बुरहानपुर मूल राजस्व ग्राम एवं उनके मजरे-टोलों का पृथक्-पृथक् अधिकार अभिलेख, नक्शा एवं अनुसांगिक अभिलेख तैयार कर लिये गये है :—

अनुसूची

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.न.	बन्दो. बस्त नम्बर	मूल राजस्व ग्राम एवं नवीन राजस्व ग्राम	कुल खातों की संख्या	कुल खसरा नम्बर	खाता+ आबादी का क्षेत्रफल (हेक्टर)	गैर खाते का क्षेत्रफल (हेक्टर)	कुल योग क्षेत्रफल (हेक्टर)	निर्धारित भू-राजस्व	जन संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01	बुरहानपुर	बेरगांवखुर्द	09	149	मूल राजस्व ग्राम	394	644	534.12	181.94	716.06	2932.28 परि.भू.रा. 161708.72	3670
02	बुरहानपुर	गारबर्डी	09	149क	नवीन राजस्व ग्राम	132	274	214.50	188.13	402.63	822.78	750
03	बुरहानपुर	बिरोदा	01	143	मूल राजस्व ग्राम	1163	2377	1543.99	280.67	1824.66	6266.51	4399
04	बुरहानपुर	भोलाना	01	143क	नवीन राजस्व ग्राम	178	420	221.06	384.48	605.54	384.79	935

जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर.

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन

क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

आदेश

क्र. अ.मं.-विठे-निरस्ती-2014-15-1796-मु.अ.—मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुत्रप्तियाँ निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचियां संलग्न हैं :—

01. विनियम 26(2) के तहत् पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वत: निरस्त हो चुकी है. अत: पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (1) वि. ठे. संख्या 136.

02. विनियम, 29 के तहत् दिनांक 30 जून 2014 तक आगामी वर्ष अवधि 2014-16 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वत: निरस्त हो चुकी है. अत: दिनांक 1 जनवरी, 2014 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (2) वि. ठे. संख्या 102.

03. सूची क्रमांक (3) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है. अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (3) वि. ठे. संख्या 39.

ए. के. दुबे
सचिव,
म. प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्), भोपाल.

सूची क्रमांक-एक

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात् 6 माह तक
पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त अनुज्ञप्ति की सूची

क्रमांक (1)	विद्युत् ठेके. का नाम/पता (2)	कार्य छोड़ने का दिनांक (3)	अनुज्ञप्ति क्रमांक (4)
1.	श्री जियालाल साहू, प्रो. शिवशंकर इले. , मेन रोड़, बिलौजी बैढन, जिला – सीधी (म.प्र.)	12–02–2013	19 / 1459–"अ"
2.	श्री सुशील कुमार रघुवंशी आत्मज श्री दिनेश सिंह रघुवंशी, ग्राम–आनन्तपुर, पोस्ट–पचावली, तहसील–कोलारस, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)	15–12–2013	33 / 1599–"अ"
3.	श्री बद्रीप्रसाद केवट आ. स्व. श्री छिदामीलाल केवट 305 / 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, उखरी रोड़, पावर हाउस के बाजू में, जबलपुर (म.प्र.) 482002	13–12–2013	33 / 2071–"अ"
4.	श्री गिरीश शर्मा आ. श्री रूपनारायण शर्मा, म.नं. 102, डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, न्यू पलासिया – इन्दौर (म.प्र.)	15–05–2012	23 / 2129–"अ"
5.	श्री अरूण प्रतापसिंह परिहार, शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर, क्वा. नं. 3, कोठी कम्पाउण्ड, रीवा (म.प्र.)	31–12–2013	13 / 2141–"अ"
6.	श्री संजीव वर्मा पिता श्री एम. पी. वर्मा, एन–46, अनूप नगर, इन्दौर (म.प्र.)	18–03–2013	23 / 2269–"अ"
7.	श्रीमती फरूक नईम सिद्धीकी, प्रो. सुपर लाईट डेकोरेटर्स, 36, लाला लाजपत राय कॉलोनी, रायसेन रोड़, भोपाल (म.प्र.)	31–05–2013	28 / 2312–"अ"
8.	श्री ऋषिकान्त शुक्ला, 32, सुन्दर नगर, पो. ऑ. पिपलानी, रायसेन रोड़, भोपाल (म.प्र.)	18–07–2013	28 / 2465–"अ"
9.	श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा आ. श्री नन्द किशोर विश्वकर्मा, खोखराकला, तह. कालापानी, जिला–शाजापुर (म.प्र.)	20–09–2013	30 / 2469–"अ"
10.	श्री दीपक सिंह तोमर आ. श्री हीरासिंह तोमर, पेरसा चौराहा, अम्बाह, जिला–मुरैना (म.प्र.)	31–12–2013	01 / 2560–"अ"
11.	मेसर्स के.ई.सी. इन्टरनेशनल लिमि., 7th फ्लोर इनफिनिटी टॉवर–बी, डीएलएफ सिटी, फेस–2nd, सेक्टर–25, गुड़गॉव (हरियाणा)122022	01–01–2010	यूएस / 2617–"अ"
12.	श्री सचिन चिंचालकर, मेसर्स कासमिक फेब्रिकेटर एण्ड कन्स्ट्रक्शन, 16 जति कॉलोनी, रामबाग, इन्दौर (म.प्र.)	15–03–2014	23 / 2620–"अ"
13.	श्री गजेन्द्रसिंह राठौर, आवास कॉलोनी, जीरापुर जिला–राजगढ़ (म.प्र.)	31–12–2013	31 / 2690–"अ"
14.	श्री सत्यभान सिंह नरवरिया, ग्राम–जरपुरा, पोस्ट–सोनी, महसील–मेहगॉव, जिला–भिण्ड (म.प्र.)	30–09–2013	02 / 2835–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्री देवेश कुमार पाण्डेय, मेसर्स सूर्या कन्सट्रक्शन, 45, महावीर नगर, इन्दौर (म.प्र.)	25–12–2013	23/2881–"अ"
16.	श्री जय प्रकाश सिंह, प्रो. एस.के. इंजीनियर्स, लक्ष्मी मार्केट, जयंत, सिंगरौली (म.प्र.)	15–06–2014	15/2914–"अ"
17.	श्री अनिल श्रीवास्तव आ. श्री सुरेशचन्दद्र श्रीवास्तव,, द्वारा – सांई इन्टरप्राइजेज, 8 भगतसिंह मार्ग, नलखेड़ा, शाजापुर (म.प्र.)	19–06–2014	30/2971–"अ"
18.	श्री ऋषिकेश शर्मा, ए–14, तुलसी परिसर, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.)	26–03–2013	28/2976–"अ"
19.	श्री संजय सक्सेना, नेहरू कॉलोनी, सीहोर (म.प्र.)	13–08–2013	29/2979–"अ"
20.	श्री विजय कुमार रखवचन्द्र ओस्तवाल, 24, क्षिप्रा कॉलोनी, महिदपुर, जिला – उज्जैन (म.प्र.)	07–06–2013	18/3002–"अ"
21.	श्री आनन्द शर्मा आ. श्री शिवप्रसाद शर्मा, शेख की बगिया, नई सड़क, लश्कर – ग्वालियर (म.प्र.)	31–01–2014	03/3037–"अ"
22.	श्री अजय कुमार पिता प्रेमचंद चोरडिया, 31, स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	10–02–2014	23/3043–"अ"
23.	श्री प्रदीप सिंह चौहान आ. श्री चंदन सिंह चौहान, दिग्विजय शॉपिंग कॉम्पलेक्स–2, शॉप नं. –1, बस स्टेण्ड के पास,रेहटी, जिला–सीहोर (म.प्र.)	30–01–2014	29/3046–"अ"
24.	मेसर्स टेक्नोक्राफ्ट, 34, झोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)	30–04–2013	28/3076–"अ"
25.	श्री संजय सिंह उपोरा आ. श्री शांतिलाल उपोरा, 21, नमक मण्डी, उज्जैन (म.प्र.)	01–11–2013	18/3085–"अ"
26.	मेसर्स वंशिका इन्टरप्राइजेज, प्रो. ऋषि दुबे, प्रकाश नगर, पत्रोत्ता, इटारसी जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)	20–12–2013	32/3185–"अ"
27.	श्री आर. एल. सोनी आ. श्री हरप्रसाद सोनी, म.नं. व्ही1/36, मेनिट केम्पस, भोपाल (म.प्र.)	05–07–2014	28/3187–"अ"
28.	श्री फईम मोहम्मद शेख, 84/सी, जिया कॉलोनी, सी–सेक्टर, करौंद, भोपाल (म.प्र.)	22–08–2013	28/3198–"अ"
29.	श्रीमती शकुन्तला चौधरी, पत्नि श्री रामेश्वर चौधरी, 203, शिवाजी नगर, इन्दौर (म.प्र.)	16–12–2013	23/3200–"अ"
30.	एराइज सर्विसेस एण्ड प्रोजेक्ट, प्रो. श्री राजन मिश्रा, 319/ए, सेक्टर–एफ, औद्योगिक क्षेत्र, सॉवेर रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	27–01–2014	23/3211–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	मेसर्स मॉ शारदा स्ट्रक्चर्स एण्ड सप्लायर्स प्राय. लिमि., डी–18 द्वारकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.)	16–02–2014	03/3228–"अ"
32.	श्री झाडूलाल पवॉर, 10–ए, न्यू एम आई जी, मुखर्जी नगर, देवास (म.प्र.)	04–12–2013	20/3254–"अ"
33.	श्री दयाशंकर मोहनलाल व्यास, सारस्वत ब्राम्हण मोहल्ला, कुकडेश्वर, तहसील–मनासा, जिला – नीमच (म.प्र.)	28–01–2013	21/3267–"अ"
34.	श्री अब्दुल मुईद खान, 48, कम्पाउण्ड जेलर साहब, पुल बोगदा, गोविन्दपुरा – भोपाल (म.प्र.)	05–11–2013	28/3277–"अ"
35.	श्री शरद कुमार आ. श्री रामनारायण कुमार, 4, टीचर्स कॉलोनी, महू, जिला–इन्दौर (म.प्र.)	15–11–2012	23/3281–"अ"
36.	श्री अविनाश कुमार मिश्र, आ. श्री मोतीलाल मिश्र, ग्राम व पोस्ट हरददी, बाया–बीडा, जिला – रीवा (म.प्र.)	01–03–2013	13/3286–"अ"
37.	श्री मो. यूसुफ, अहमद अली कॉलोनी, एशबाग स्टेडियम, भोपाल (म.प्र.)	08–07–2013	28/3298–"अ"
38.	श्री पवन कुमार जैन, ग्राम व पोस्ट – धामनिया, तहसील–जावेद, जिला – नीमच (म.प्र.)	24–02–2014	21/3342–"अ"
39.	श्री नीलोत्पल मिश्रा आ. श्री अंजनीकुमार मिश्रा, द्वारा –नेशनल इंजीनियरिंग कार्पोरेशन , निवासी :म.नं. 06, बिजासन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	05–03–2014	23/3352–"अ"
40.	श्री शिवेन्द्र सिंह राठौर , एमआईजी–08, शिवा नगर, छत्री रोड़, शिवपुरी (म.प्र.)	18–02–2014	05/3380–"अ"
41.	श्री महेश मुजाल्दा, ग्राम– घटनोरी, बाग, जिला – धार (म.प्र.)	20–03–2014	22/3420–"अ"
42.	श्री प्रदीप उपाध्याय, निवासी–35, वीरपार्क रोड़, नीमच (म.प्र.)	18–08–2013	21/3509–"अ"
43.	श्री गौतमी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि., 6–3–1109/ए, तीसरी मंजिल, नव भारत चेम्पर्स, सोनाजीठाड, राजभवन रोड़, हैदराबाद (आ. प्र.)	31–12–2013	US/3518–"अ"
44.	श्री अनिल गोयल आ. श्री एम. एल. गोयल, 70 गुदरी चौराहा, उज्जैन (म.प्र.)	05–02–2014	18/3518–"अ"
45.	श्री कोमलं सिंह चौधरी (तारा मेन पावर सप्लायर्स), लाईन नं. 6, म.नं. 9, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.)	31–12–2013	03/3573–"अ"
46.	मेसर्स श्रीम इलेक्ट्रिक लिमिटेड, द्वारा – होटल संत प्लाजा, 9/1, किबे कम्पाउण्ड, छोटी ग्वाल टोली, इन्दौर (म.प्र.)	06–01–2014	23/3575–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
47.	मेसर्स एम.व्ही.एम. इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर प्रो. मुकेश वर्मा, गैंडे वाली सड़क, लश्कर – ग्वालियर (म.प्र.)	31–12–2013	03/3649–"अ"
48.	श्री प्रदीप द्विवेदी, गयत्री प्रोग्रेसिव हाउन्डेशन, 101, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)	26–05–2013	28/3679–"अ"
49.	श्री अशोक मालवीय, म.नं. 108, 56–ब्लॉक, जबरन कॉलोनी, नागदा, जिला – उज्जैन (म.प्र.)	15–09–2013	18/3690–"अ"
50.	श्री कल्याण सिंह यादव, 110–बदरवास, हनुमान कॉलोनी, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)	30–09–2013	05-3701–"अ"
51.	श्री दीपांशु दुबे, 103/9–ए, पगकार कॉलोनी, श्रानीताल, जबलपुर (म.प्र.)	30–09–2013	33/3773–"अ"
52.	श्री संजीव कुमार यादव, जय स्तम्भ पार्क रोड़, ऑफीसर्स कॉलोनी, डबरा – ग्वालियर (म.प्र.)	15–07–2013	03/3775–"अ"
53.	मेसर्स एस. ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, 7, पंत नगर, ए.जी. ऑफिस के पीछे, लश्कर – ग्वालियर (म.प्र.)	01–12–2013	03/3781–"अ"
54.	मेसर्स न्यू मार्डन टेक्नोमेक प्राय.लिमि., एस–2/29, छन्या इण्डस्ट्रीज एस्टेट, स्टेशन बाजार, बारीपाड़ी, मयूरभंज, ओडीसा – 757001	03–07–2013	यूएस/3782–"अ"
55.	श्री शेषमणि शर्मा, वार्ड नं. 10, आजादद चौक, शहीद बाबा रोड़, अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)	01–09–2013	12/3784–"अ"
56.	मेसर्स हरजस डेवलपर्स; ई–4/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)	07–07 –2013	28/3786–"अ"
57.	मेसर्स आकार इन्टरप्राइजेज, आनन्द भवन, चित्रा टॉकीज के पास, नई सड़क, लश्कर – ग्वालियर (म.प्र.)	21–05 –2013	03/3789–"अ"
58.	श्री आनंद सिंह भदौरिया, ग्राम–अछाई (अकलौनी) भिण्ड (म.प्र.)	04–05 –2013	02/3790–"अ"
59.	के. ई. एल. इंजीनियर्स प्राय. लिमि., 16 एम.आई.जी., इन्द्रप्रस्थ गार्डन, सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.)	30–12–2013	08/3807–"अ"
60.	श्री संजय शर्मा, ग्राम–सूरजपुरा, तहसील–अटेर, भिण्ड (म.प्र.)	26–10–2012	02/3813–"अ"
61.	श्री बृजेश कुमार शर्मा आ. श्री रामनारायण शर्मा, ग्राम व पोस्ट रामपुर, तहसील–आरोन, गुना (म.प्र.)	15–10–2013	06/3822–"अ"
62.	श्री जे. एस. ठाकुर, हा. नं. 307, सेक्टर–एच, फेज–2, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.)	31–12–2013	28/3831–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
63.	श्री भगवानसिंह परमार आत्मज श्री शिव नारायण परमार, ग्राम–बाबउल्या – सारंगपुर, जिला–राजगढ़ (म.प्र.)	09–09–2013	31/3848–"अ"
64.	श्री रमजान खान आ. श्री सुलेमान खान, अथाई मोहल्ला, जुगमानापुरा, मुँगावली, अशोक नगर (म.प्र.)	06–10–2013	19/3862–"अ"
65.	श्री इरफान मो. खान, स्रदार इलेक्ट्रीकल्स, 205 होटल टिल्टन के पास, सुल्तानिया रोड़, भोपाल (म.प्र.)	05–08–2013	28/3872–"अ"
66.	श्री अब्दुल नदीम आ. श्री अब्दुल अजीज, 7 चितेरा बाखमल रामप्रसाद भार्गव मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)	12–01–2013	18/3873–"अ"
67.	श्री कुलदीप सिंह कुशवाहा, शिवाजी नगर, भिण्ड (म.प्र.)	30–11–2013	02/3882–"अ"
68.	श्री पवन के. गुप्ता आ. श्री के. पी. गुप्ता, म.नं. 4, 363, फेस–2, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.)	30–05–2013	28/3898–"अ"
69.	श्री पारस सिंह ठाकुर, अहमद नगर, गोपाल गंज, सागर (म.प्र.)	02–02–2013	09/3899–"अ"
70.	श्री सुरेश पाथेय, मु. पो. बरगी, तहसील – सिहोरा, जिला–जबलपुर (म.प्र.)	22–09–2013	33/3925–"अ"
71.	श्री गिरीश सिंघल आ. श्री रामसेवक, मेसर्स आदित्य मेगा एसोसियट्स, पत्ता गोदाम के पीछे, महल कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.)	09–04–2012	05/3935–"अ"
72.	श्री शैलेन्द्र गर्ग, टी–301, बी–ब्लॉक, सुख–शांति अपार्टमेंट, बी–सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र.)	16–02–2014	28/3938–"अ"
73.	श्री विवेक दुबे, त्यागी बाबा मंदिर के पास, त्यागी नगर, मुरार – ग्वालियर (म.प्र.)	18–12–2013	03/3946–"अ"
74.	श्री राजेन्द्र सिंह जादौन आ. श्री लक्ष्मण सिंह जादौन,1/6, गणेशपुरा, मक्सी रोड़, शीतला माता मंदिर के पास, उज्जैन (म.प्र.)	15–08–2013	18/3958–"अ"
75.	श्री कमल वाच्छानी आ. श्री जी. एन. वाच्छानी, म.नं. 28, ओम नगर, हलालपुरा, भोपाल (म.प्र.)	27–10–2013	28/3965–"अ"
76.	मेसर्स ए.जी.पी. एण्ड एसोसियट्स, प्रो. प्रेम नारायण झा, छोटा लोहापुरा, पुरानी शिवपुरी (म.प्र.)	11–12–2013	05/3978–"अ"
77.	श्री सुनील कुमार दुबे आ. श्री महेश कुमार दुबे, खेड़ापति मोहल्ला, आरोन, गुना (म.प्र.)	02–02–2014	06/3981–"अ"
78.	श्री चन्द्रकांत सिंह, 272, डॉ. भाभा वार्ड, गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.)	31–05–2013	35/3990–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
79.	श्री असलम खान, 77, नियर रेलवे क्रॉसिंग चौरई, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	03–10–2013	36/3992–"अ"
80.	श्री सुजित सिंह कुशवाहा, ग्ली नं. 4, यदुनाथ नगर, भिण्ड (म.प्र.)	21–03–2014	02/3997–"अ"
81.	श्री सतीश झा, पुरानी तहसील, राम मंदिर के पास, शिवपुरी (म.प्र.)	04–04–2013	05/3998–"अ"
82.	श्री दीपक सोनी आ. श्री भागवत प्रसाद सोनी, ग्राम–तिघरा कला मैहर, जिला–सतना (म.प्र.)	22–06–2013	12/4004–"अ"
83.	श्री रमाकांत व्यास आ. श्री गोपीनाथ व्यास, ग्राम–मुढ़ापार, तहसील–बाबई, होशंगाबाद (म.प्र.)	17–12–2013	32/4006–"अ"
84.	श्री मनोज तिवारी आ. श्री कैलाश नारायण तिवारी, 57/2, ग्राम–खदरावनी, तहसील–करैरा, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)	24–04–2013	05/4007–"अ"
85.	श्री राजेश कुमार खरे, एच–23, ब्लॉक नं. 2, यूको बैंक कॉलोनी, सरला नगर, मैहर, जिला–सतना (म.प्र.)	01–02–2014	12/4010–"अ"
86.	मेसर्स आर. के. इलेक्ट्रीकल्स, प्रो. श्री राजेन्द्र उमरे, मेन रोड़, बगडोना, तहसील–घोड़ा डोंगरी, बैतूल (म.प्र.)	12–04–2013	34/4015–"अ"
87.	श्री असफाक अली सेयद आ. श्री हाजी मंसूर अली सेयद, म.नं. 34, महाराणा बस्तार मार्ग, रिंगनोद, सरदापुर, धार (म.प्र.)	15–05–2013	22/4036–"अ"
88.	मेसर्स गिरीज कंस्ट्रक्शन, प्रो. प्रदीप गोयल, पछाड़ीखेड़ा रोड़ बायपास अशोक नगर (म.प्र.)	15–04–2013	19/4047–"अ"
89.	मेसर्स सारांश ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो. बिनोद गौड़, खेड़ापति कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.)	09–06–2013	05/4053–"अ"
90.	श्री दीपक मिश्रा, पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास, गुरू आश्रम, घोघर – रीवा (म.प्र.)	01–09–2013	13/4063–"अ"
91.	श्री जितेन्द्र वैश्य, जे. बी. इलेक्ट्रीकल्स, 19–ए, सेक्टर–सी, स्कीम नं. 71, इन्दौर (म.प्र.)	25–05–2013	23/4071–"अ"
92.	श्री अशोक कुमार गोखरू, प्रो. गोखरू इंजीनियरिंग कम्पनी, सदर बाजार, ओसवाल मोहल्ला, भानपुरा, मंदसौर (म.प्र.)	31–12–2013	16/4106–"अ"
93.	श्री मिथुन डान्डे, 28/137–के, हनुमान कॉलोनी, गुना (म.प्र.)	27–07–2013	06/4111–"अ"
94.	मेसर्स स्टेर्लिंग इलेक्ट्रो इन्टरप्राइजेज प्राय.लिमि., 101–106, एक्जिम लिंक, फर्स्ट फ्लोर मुलन्द गौरेगॉव, लिंक रोड़, भानडप (वेस्ट) मुम्बई–400078	16–04–2013	यूएस/4113–"अ"
95.	श्री कौशमल कुमार गुप्ता, 34–सत्यदेव नगर, गॉधी रोड़ ग्वालियर (म.प्र.)	23–08–2013	03/4115–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
96.	मेसर्स वर्मन कन्स्ट्रक्शन, प्रो. लालसिंह वर्मन, ग्राम–डोन्चा, पोस्ट–जाटपुर, तहसील–मनावर, धार (म.प्र.)	28–08–2013	22/4120–"अ"
97.	श्री आशीष भारद्वाज, एलआईजी–33, शिव नगर, छत्री रोड़, शिवपुरी (म.प्र.)	31–08–2013	05/4125–"अ"
98.	कु. सोनम लोधी पुत्री सरदारसिंह लोधी, नया गाड़ी अड्डा, पुरानी कलारी रोड़, विदिशा (म.प्र.)	03–08–2013	27/4127–"अ"
99.	श्री गणेश प्रसाद छलोत्रे, म.नं. 15, रामपुरी, थाना व तह–सिराली, जिला – हरदा (म.प्र.)	21–08–2013	32/4132–"अ"
100.	श्री गोपाल वाणी, 461/बी, पचमढ़ी, सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.)	25–09–2013	33/4135–"अ"
101.	श्री कृष्णपालसिंह , ग्राम– श्याम टोली, तहसील–ईशागढ़, जिला – अशोक नगर (म.प्र.)	31–12–2013	19/4138–"अ"
102.	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राम सेवक श्रीवास्तव, ग्राम व पोस्ट – बरगॉय तहसील व जिला – दतिया (म.प्र.)	30–09–2013	07/4151–"अ"
103.	मेसर्स ईसुन रीरौल लिमिटेड, डी–89, मिनाल रेसिडेन्सी, जे. के. रोड़, भोपाल (म.प्र.)	18–11–2013	28/4163–"अ"
104.	श्री सुनील कुमार सिंह, एच एम सिंह 1/38/638, इन्द्रा नगर, घोंघर, रीवा (म.प्र.)	10–10–2013	13/4164–"अ"
105.	श्री दौलतराम धाकड़ आ. श्री उम्मेदसिंह, ग्राम–बालपुरा, पोस्ट – जौराई, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)	24–10–2013	05/4169–"अ"
106.	श्री नरेन्द्र सिंह आ. श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम–31, भीलवाडिया, 41, राजपूत मोहल्ला, शाजापुर (म.प्र.)	14–10–2013	30/4174–"अ"
107.	श्री सरवन लाल धाकड़, वार्ड क्रमांक–13, धाकड़ मोहल्ला, मनियर, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)	20–11–2013	05/4180–"अ"
108.	मेसर्स एम. पी. इन्टरप्राइजेज, प्रो. चन्द्रेश धरमसी, 18, राजवाड़ा, निहालपुरा, इन्दौर (म.प्र.)	04–01–2014	23/4181–"अ"
109.	श्री शेरू खान, 43, डॉ. कैहेदर की गली, सुल्तानिया रोड़, इब्राहिमपुरा, भोपाल (म.प्र.)	28–02–2014	28/4196–"अ"
110.	श्री राज कुमार राजपूत, 385, पिपरई, तहसील–मुँगावली, जिला – अशोक नगर (म.प्र.)	31–01–2014	19/4197–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
111.	श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा, आत्मज श्री डोमनलाल विश्वकर्मा, 490/3, जगदीश मंदिर, गढ़ा फाटक, जबलपुर (म.प्र.)	10–11–2014	33/4209–"अ"
112.	श्री लक्ष्मीकांत ओझा, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल इन्टरप्राइजेज, साडा काम्पलेक्स, शॉप नं. 1, साडा कॉलोनी, भसुला, राघौगढ़, जिला – गुना (म.प्र.)	30–01–2014	06/4217–"अ"
113.	श्री पंकज हर्डिया आ. श्री हेमचंद हर्डिया, द्वारा – आभास इन्टरप्राइजेज, 101–दुर्गा कॉम्पलेक्स, 4–नवलखा मेन रोड़, जिला – इन्दौर (म.प्र.)	19–12–2013	28/4218–"अ"
114.	श्री उमेश कुमार शुक्ला, ग्राम व पोस्ट – अमिलिया, जिला – सीधी (म.प्र.)	09–12–2013	15/4222–"अ"
115.	श्री मो. यासीन, म.नं. 178, सेक्टर–बी, सुन्दर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.)	06–09–2013	28/4230–"अ"
116.	मेसर्स जी. एम. पी. टेक्नीकल साल्युशन प्रा.लिमि., 309–316, तीसरी मंजिल, स्वास्तिक, दिसा बिजनेस, पार्कघाट कोपर (पं.) मुम्बई (महाराष्ट्र)	03–12–2013	US/4240–"अ"
117.	श्री शिवनारायण नागर आ. श्री आशाराम नागर, ग्राम– हराना, पोस्ट– लीमा, चौहान थाना, खुजनेर, सारंगपुर, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	15–12–2013	31/4244–"अ"
118.	मेसर्स बी आर कन्ट्रोल एण्ड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, एफ–1, फर्स्ट फ्लोर, मिनी कॉम्पलेक्स, ग्रीन गार्डन पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)	15–12–2013	03/4252–"अ"
119.	श्री वीर सिंह केसी, प्रो. केसी इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, अमरकंडक रोड़, धनपुरी, जिला – शहडोल (म.प्र.)	17–07–2013	14/4283–"अ"
120.	मेसर्स एम. आर. इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री अशोक विजय वर्गीय, 45/9–बी, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.)	20–02–2014	28/4294–"अ"
121.	श्री अंजनी सिंह, जय प्रकाश कॉलोनी, न्यू राज नगर, पोस्ट बमगवॉ, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)	05–03–2014	47/4300–"अ"
122.	श्री उदय प्रसाद प्रजापति, आ. श्री राजाराम प्रजापति, 85–ए, वार्ड क्रमांक–14, गोरमी, जिला – भिण्ड (म.प्र.)	17–12–2013	02/4301–"अ"
123.	श्री अशोक कुमार भारती, सर्वोदय चौराहा, सीधी (म.प्र.)	12–02–2014	15/4307–"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
124.	मेसर्स कामधेनु सिक्युरिटी सर्विस, प्रो. रामकृष्ण द्विवेदी आ. श्री रामसिया द्विवेदी, 23, प्लाजा, द्वितीय मंजिल, संयोगिता गंज, इन्दौर (म.प्र.) 18–02–2014	18–02–2014	23/4335–"अ"
125.	श्री राजेश सिंह नरवरिया आ. श्री रघुवीर नरवरिया, शिव नगर, गंज बसौदा, विदिशा (म.प्र.)	03–02–2014	27/4345–"अ"
126.	मेसर्स मिलोलुमियर प्राय. लिमि., 27–अनूप नगर, इन्दौर (म.प्र.)	13–03–2014	23/4346–"अ"
127.	श्री परवेज खान, म.नं. 50, बोरबोन स्कूल के पीछे, सिलावटपुरा, जहॉगीराबादद, भोपाल (म.प्र.)	06–03–2014	28/4357–"अ"
128.	श्रीमति शोभना तिवारी पुत्री श्री अशोक कुमार तिवारी, द्वारा– श्री ओंकारप्रसाद तिवारी, सिद्धार्थ नगर, हनुमान मंदिर के पास, सतना (म.प्र.)	27–11–2013	12/4358–"अ"
129.	मेसर्स सनाइडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि., फ्लोर 4–7 टावर–3, प्लाट नं. 2 बी, आई जी एल कॉम्पलेक्स सेक्टर 126, नोयडा (यू. पी.)	08–03–2014	यूएस/4359
130.	मेसर्स इंजी. सुभाष शर्मा, गायत्री बिहार कॉलोनी, मेन रोड़, पिंटो पार्क, मुरार – ग्वालियर (म.प्र.)	28–02–2014	03/4361–"अ"
131.	मेसर्स राजेश इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री राकेश कुमार डोडवानी, स्टेशन रोड़, जी डी कॉम्पलेक्स, पोस्ट–बुढार, शहडोल (म.प्र.)	03–03–2014	14/4409–"अ"
132.	श्री रमेशचन्द्र चौहान आ. श्री लालजी चौहान, गढिया मेर, पोस्ट – दौलाज, त्हसील–खिलचीपुर, राजगढ़ (म.प्र.)	08–02–2014	31/4427–"अ"
133.	श्री कुमेरसिंह ठाकुर आ. श्री कुवरसिंह ठाकुर, प्रो. न्यू पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, 888/2, द्वारकापुरी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	09–10–2013	23/4430–"अ"
134.	मेसर्स वारी एनर्जिस लिमि., 602, 6वीं फ्लोर, वेस्टर्न ऐज–1, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, बोरीवली मुम्बई	18–01–2014	यूएस/4452–"अ"
135.	श्री प्रयाग दत्त मिश्रा आ. श्री हरीशंकर मिश्रा, ग्राम– कसमड़ा, जिला– मुरैना (म.प्र.)	20–01–2014	01/4471–"अ"
136.	मेसर्स श्री नितिन ब्रदर्स, कान्ट्रेक्टर, 21–ए, चन्द्र नगर, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	16–02–2014	23/4541–"अ"

(ए. के. दुबे)
सचिव,
म. प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत)
भोपाल

सूची क्रमांक-दो

30-06-2014 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची

क्रमांक (1)	विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता (2)	अनुज्ञप्ति क्रमांक (3)
1.	श्री अनिल सबेरी, 90 सुरेश एण्ड कम्पनी, रघुनाथ गंज, कटनी (म.प्र.)	579–ए
2.	श्री शेखर उरकुड़े, 697 अग्रवाल कॉलोनी गढ़ा रोड़, जबलपुर (म.प्र.)	916–ए
3.	मेसर्स ट्रवल शूटर्स लाल बाग रोड़, कृष्णा बिला कॉम्पलेक्स; कलेक्ट्रेट के सामने, इन्दौर (म.प्र.)	991–ए
4.	श्री ओमप्रकाश सोनी, 501, पुष्प रतन प्राइड, 35/2, न्यू पलासिया धोबीघाट, इन्दौर (म.प्र.)	23/1109–ए
5.	श्री एम. जे. चौधरी, 209, ब्रज बिहार अन्नपूर्णा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	23/1167–ए
6.	श्री विनोद कुमार बंसल आ. श्री नंदूलाल बंसल, जैन भवन रोड़, नीमच क्रेन्ट, नीमच (म.प्र.)	16/1171–ए
7.	श्री अरूण राजावत, 87–ए, भवानीपुर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	23/1196–ए
8.	श्री अब्दुल नईम प्रो. नफीस इन्टरप्राइजेज, स्टेशन रोड़, म.प्र. विद्युत मण्डल परिसर, गुना (म.प्र.) 455001	6/1210–ए
9.	मेसर्स वेलियन्ट इंजीनियर्स, 123–एच, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा–भोपाल (म.प्र.)	28/1218–ए
10.	श्री एम. व्ही. सूर्याराव, डी–5/2, नेहरू नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.)	28/1222–ए
11.	श्री प्रदीप कुमार तिवारी, प्रो. अमन एण्ड इले. कन्स्ट्र. मु. पो. बाया, तहसील–बुधनी, जिला – सीहोर (म.प्र.)	29/1441–ए
12.	श्री शशांक शर्मा, द्वारा – सूर्या कन्स्ट्रक्शन, 23 भक्त प्रहलाद नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/1481–ए
13.	श्री डी. आर. सांभले, 427, सरस्वती स्कीम नं. 59, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	23/1499–ए
14.	मेसर्स यू.बी. इंजी. लिमि., सैय्यादी सदन, तिलक रोड़, पुणे (महाराष्ट्र)	V/1509–ए
15.	मेसर्स इलेक्ट्रो सर्विसेज, 164–9–ए, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.)	28/1510–ए
16.	श्री अर्जुन कुमार, प्रो. मेसर्स आर के सिंह एण्ड कम्पनी, क्वॉटर नं. डी/एस 1151, बिजुरी कालरी, जिला–शहडोल (म.प्र.)	14/1552–ए
17.	श्री अविनाश गुप्ता, 421, उदापुरा, इन्दौर (म.प्र.)	23/1566–ए
18.	श्री एम. आर. अत्री, प्रो. अत्री इलेक्ट्रीकल्स, ग्रीनलैण्ड अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 106, प्रिचारिका नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/1570–ए

(1)	(2)	(3)
19.	श्री के. के. गौड़, मेसर्स शांति इलेक्ट्रीकल्स, 66, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.)	3/1573–ए
20.	श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वर मालवी, ब्राम्हण मोहल्ला, तहसील–कुक्षी, जिला–धार (म.प्र.)	22/1886–ए (31–12–2012 से निरस्त)
21.	श्री रघुवीर संधु आ. श्री ओंकार सिंह, प्रो. मेगा पावर, 345 एओ/स्कीम नं. 74 सी, ए.बी.रोड़, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/1898–ए (31–12–2012 से निरस्त)
22.	श्री लक्ष्मण सोनगारा, प्रोपराइटर कंचन क्रिएशन लिमि., 30 जेल रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	23/1985–ए
23.	श्री सतीश जैन (सोनी), सुधीर मिनरल एण्ड माइनिंग इण्डस्ट्रीज, 206, आश्रम कॉम्पलेक्स, 56 दुकान पलासिया इन्दौर (म.प्र.)	23/2001–ए
24.	श्री जुगल किशोर चौरसिया, 68, जवाहर नगर, जावरा, रतलाम, जिला–रतलाम (म.प्र.)	20/2023–ए
25.	श्री आविद हसन, म.नं. 271 नजीराबाद, बस स्टेण्ड, सतना (म.प्र.)	12/2024–ए
26.	श्री मनीष कुमार शर्मा आ. श्री नवनकिशोर शर्मा, 79, भागवत नगर, रामटेकरी, मंदसौर (म.प्र.)	16/2034–ए
27.	श्री गोवर्धनदास डोडवानी, प्रो. सुन्दर एजेन्सीज, बुढार, शहडोल (म.प्र.)	14/2037–ए
28.	श्री रमेश कुमार तिवारी आ. श्री रामलखन तिवारी, पम्प हाउस के पास, संजय नगर, रीवा (म.प्र.)	13/2060–ए
29.	श्री पवन जैन आ. श्री हंसराज जैन, बड़ौदा रोड़, श्योपुर कला (म.प्र.) 476337	04/2064–ए
30.	श्री आर. पी. साहू, 670/आर–1, अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.)	33/2115–ए
31.	श्री सतीशचन्द जैन आ. श्री दिलासराम जैन, स्दर बाजार, मारकण्डेश्वर रोड़, गेहद, जिला – भिण्ड (म.प्र.)	02/2122–ए
32.	श्री आर. पी. कुशवाहा, कुशवाहा एण्ड ब्रदर्स, सिक्युरिटी सर्विस, 3/7 निकास बुधवासिया, उज्जैन (म.प्र.)	18/2130–ए
33.	श्री विकास गुप्ता, ओरियन इण्डस्ट्रीज, 54–बी, अनुपम नगर, एक्सटेंशन ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)	03/2167–ए
34.	श्री सुरेशचन्द्र यादव, 31 विद्युत नगर, हरनियां खेड़ी, ससलपुरा, महू–इन्दौर (म.प्र.)	23/2175–ए
35.	श्री वीरेन्द्र कुमार चौरसिया, कहदा भीतर बाजार, जवाहर गंज, सागर (म.प्र.)	09/2193–ए
36.	श्री वीरेन्द्रपाल गुप्ता, हाइटेक इंजीनियर्स, एच–888, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना (म.प्र.)	01/2438–ए (31–12–2012 से)

(1)	(2)	(3)
37.	श्री रवीन्द्र सिंह, भोपाल रोड़, शहपुरा भिटौनी, जिला–जबलपुर (म.प्र.)	33/2686–ए
38.	श्री प्रतीक दनायक, 2ए/16, शक्ति नगर (गुप्तेश्वर) जबलपुर (म.प्र.)	33/2737–ए
39.	श्री महेन्द्र श्रीवास्तव, जी–101, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र.)	28/2748–ए
40.	श्री सुनील गंगराड़े, 243, भवानी रोड़, सनावद, तहसील–बड़वाह, खरगौन (म.प्र.) 451111	24/2772–ए
41.	श्री कमलेश शर्मा आ. श्री रामनाथ शर्मा, बस स्टेण्ड, टेकनपुर, जिला–ग्वालियर (म.प्र.)	03/2811–ए
42.	श्री हेमेश बंसल, 103, भागवती अपार्टमेंट, 4 महादुर्गा नगर, नवलखा इन्दौर (म.प्र.)	28/2825–ए
43.	मेसर्स टेकनोफेब इंजीनियरिंग लिमि., प्लाट नं. 5, सेक्टर–27–सी, मथुरा रोड़, फरीदाबाद 121003 (एनसीआर) इंडिया	यूएस/2830–ए
44.	श्री धनंजय एस. एन., द्वारा रियो टिन्टी एक्सप्लोरेशन इंडिया लिमिटेड, मं.न. 343, लोकनाथपुरम सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.)	08/2847–ए
45.	श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, नारायण गंज, मण्डला (म.प्र.)	45/2904–ए
46.	श्री शादाब अली खान, द्वारा गैलेक्सी पावर इन्टरप्राइजेज, म.नं. 40, टोलपाली मस्जिद रोड़, सुहाग भवन के सामने, बुधवारा, भोपाल (म.प्र.)	28/2906–ए
47.	श्री महेश कुमार राय आ. श्री राम सहाय राय, 575 सी.ओ.डी. कॉलोनी, सुहागी, आधार ताल, जबलपुर (म.प्र.)	33/2912–ए
48.	श्री हुलासचन्द्र जैन आ. श्री बादल चन्द जैन, 41–ए, पंचवटी जानकी नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/2973–ए
49.	श्री रामेश्वर पाटीदार आ. श्री रामचन्द्र पाटीदार, निवासी–163 बृजेश्वरी एनेक्स–बी, बंगाली चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)	23/3327–ए (31–12–2012 से)
50.	श्री महेश कुमार दांतरे, ग्राम व पोस्ट – इंदरगढ़, जिला – दतिया (म.प्र.)	07/3423–ए (31–12–2012 से)
51.	श्री सैय्यद मोहम्मद बुरहान उल्ला आ. श्री मोहम्मद आसिफ उल्लाह, विनायक रेसीडेन्सी, इटारसी रोड़, बैतूल (म.प्र.)	34/3441–ए (31–12–2012 से)
52.	श्री अनिल मिश्रा आ. श्री विशेखर दयाल मिश्रा, बी–2/22, विनय नगर, सेक्टर, सेक्टर–4, ग्वालियर (म.प्र.)	03/3448–ए (31–12–2012 से)
53.	श्री नन्दकिशोर सोनी, निवासी–10, रघुवंशी कॉलोनी, मॉगलिया–इन्दौर (म.प्र.)	23/3583–ए (31–12–2012 से)
54.	मेसर्स प्राची इन्टरप्राइजेज, म.प्र. विद्युत मण्डल कार्यालय के पास, करकबेल, जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)	35/3617–ए

(1)	(2)	(3)
55.	मेसर्स गौरव इंजीनियर्स, एचआईजी–1, शारदा कुन्ज, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.)	28/3642–ए
56.	श्री पंकज सोनी, 136, मेला ग्राउण्ड, मनावर, जिला–धार (म.प्र.)	22/3647–ए
57.	श्री हरीसिंह कुशवाहा, जी. डी. रफ्रिजरेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, नई सड़क, लश्कर – ग्वालियर (म.प्र.)	03/3650–ए
58.	श्री संजय सिंह गहरवार, प्रो. मेसर्स गेहरवार इन्टरप्राइजेज, ग्राम–हरदिहो, पोस्ट–चुरहट, जिला–सीधी (म.प्र.)	15/3660–ए
59.	श्रीराम वर्मा आ. श्री रतनलाल वर्मा, 1004–ए, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/3670–ए
60.	श्री एस. ए. हुसैन, एच–9, सैनिक सोसाइटी, शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.)	33/3692–ए
61.	श्री नागेन्द्र सिंह भदौरिया आ. श्री कृष्णपालसिंह भदौरिया, रेल्वे स्टेशन के पीछे, सेठ माधोप्रसाद की बगीची के पास, सुभाष नगर, मुरैना (म.प्र.)	01/3705–ए
62.	मेसर्स परफैक्ट इंजीनियर्स, व्हाइट हाउस, दादामिया कम्पाउण्ड, अहमदाबाद पैलेस रोड़, कोहेफिजा – भोपाल (म.प्र.)	28/3715–ए
63.	मेसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड, 304, बंजारा हिल्स, ट्रेडसेट टावर्स, रोड नं. 2, हैदराबाद (आ.प्र.)	यूएस/3717–ए
64.	श्री गुलाबराव पारिक आ. श्री मारोतीराव पारिक, शास्त्री वार्ड, बारा पत्थर, छोटा सांई मंदिर के पास, सिवनी (म.प्र.)	37/3723–ए
65.	इजी. कन्छेरीलाल यादव आ. श्री जी. एल. यादव, पुरानी आई टी आई के पीछे, चौबे कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.)	08/3724–ए
66.	श्री प्रकाशचन्द जैन, 62, मण्डी रोड़, लुनिया जीनिंग फैक्ट्री, कसरावद, जिला–खरगौन (म.प्र.)	24/3725–ए
67.	श्री राजकिशोर पटेल, डी.के. 5/2, एम, दानिश कुंज, कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र.)	28/3734–ए
68.	मेसर्स केहन कन्सट्रक्शन लिमिटेड, 201 शिल्प–III, बोड़कदेव अहमदाबाद (गुजरात)	यूएस/3739–ए
69.	श्री आनंद सिंह तोमर, ग्राम– उदयभान का पुरा, तहसील–पोरसा, पोस्ट–साठी, मुरैना (म.प्र.)	01/3740–ए
70.	श्री अब्दुल अजीज खान आ. श्री मोहम्मद फरीद खान, म.नं. 408, सेक्टर–ए, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.)	28/3741–ए
71.	मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ए–5/003 पारस सिटी, ई–3, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)	28/3742–ए
72.	श्री धनन्जयी बिल्डर्स, प्रो. कैलाश जायसवाल, 19, चेतना कॉलोनी, बाकानेर, धार (म.प्र.)	22/3746–ए
73.	श्री पंकज कन्सट्रक्शंस, ग्राम–शासन, पोस्ट–हियारा, जिला–सिंगरौली (म.प्र.)	15/3769–ए

(1)	(2)	(3)
74.	श्री राजीव रिछारिया, ग्राम–मांदरी, तहसील–मालयौन, सागर (म.प्र.)	09/3771–ए
75.	श्री अभिषे यादव, म.नं. 369, स्कीम नं. 114, पार्ट द्वितीय, ए.बी.रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	23/3772–ए
76.	श्री बृजेन्द्र सिंह गुर्जर, ग्राम–डॉग, पोस्ट–बिरखड़ी, तहसील–गोहद, जिला–भिण्ड (म.प्र.)	02/3778–ए
77.	श्रीमती नीती उपाध्याय, 32 साकेत नगर, तानसेन रोड़, ग्वालियर (म.प्र.)	03/3779–ए
78.	मेसर्स आर एच काम, जी–31, इंडस पार्क–2, अयोध्या नगर, बायपास रोड़, भोपाल (म.प्र.)	28/3791–ए
79.	श्री रविप्रतापसिंह आ. श्री गजेन्द्र प्रतापसिंह राणावत, प्रो. राणावत एसोसियट्स, 114 बखतगढ़ टॉवर, 10/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)	23/3795–ए
80.	श्री उदय कृष्ण पाण्डेय, इण्डस्ट्रियल कन्टीनम साल्यूशंस, ग्राम–नवगढ़, मोहल्ला–बैढ़न, जिला–सिंगरौली (म.प्र.)	15/3798–ए
81.	श्री जीशान अहमंद सिद्धीकी, म.नं. 2374, न्यू वाटर टाक के सामने, शास्त्री वार्ड, सरफाबाद, पोस्ट ऑफिस – बलदेवराग, जबलपुर (म.प्र.)	33/3802–ए
82.	श्री रितेश गंगवाल, 1565–बी, स्कीम नं. 71, रणजीत हनुमान रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	23/3810–ए
83.	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, साकेत नगर, ओरसा रोड़, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ (म.प्र.)	10/3816–ए
84.	श्री शिवराम चौहान, म.नं. 3, गली नं. 4 वल्लभ नगर (मागरूल रोड़), खरगौन (म.प्र.)	24/3817–ए
85.	श्री बृजेश कुमार शर्मा, द्वारा–विनोद पाण्डेय, सच्चा नगर, करहिया (मैदानी), बन क्रइया रोड़, रीवा (म.प्र.)	13/3820–ए
86.	एमिनेन्ट जनरल इंजीनियर्स, एस–1, एचआईजी–7, इसारजी कॉम्पलेक्स, ए–सेक्टर, सोनागिरी, भोपाल (म.प्र.)	28/3839–ए
87.	श्री मो. हसन, नेशनल एलिवेटर, 16, नूरमहल रोड़, भोपाल (म.प्र.)	28/3840–ए
88.	श्री लोकेन्द्रसिंह ठाकुर, 50 नारायण नगर, माता चौक, जसवाड़ी रोड़, खण्डवा (म.प्र.)	25/3851–ए
89.	श्री अशोक कुमार सिंह भदौरिया, द्वारा – भदौरिया इन्टरप्राइजेज ट्रांसफार्मर रिपेयर यूनिट कारकूट, फाटा बड़वाह खरगौन (म.प्र.)	24/3857–ए
90.	श्री के. पी. भट्टाचार्य, वैकुण्डीवास, सरस्वती नगर, चर्च के सामने, सतना रोड़, पो.आ. मैहर, सतना (म.प्र.)	12/3863–ए
91.	मेसर्स पायरो टावर प्राय.लिमि., ई–714, प्लाट –14, सेक्टर–18, द्वारका नई दिल्ली	यूएस/3868–ए
92.	मेसर्स राजा इलेक्ट्रीकल्स, प्रो. श्री सैयद जलाल, सुल्तानिया रोड़, बुधवारा, भोपाल (म.प्र.)	28/3875–ए

(1)	(2)	(3)
93.	यूनिक स्ट्रक्चर्स एण्ड टावर्स लिमिटेड, 1–ए, लाईट इण्डस्ट्रियल एरिया, नंदनी रोड़, भिलाई दुर्ग (छ.ग.)	यूएस/3877
94.	श्री केशवसिंह परिहार, मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, शैल बिहार, छापर, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)	33/3878–ए
95.	श्री किशोर कुमार रावत, एचआईजी–114, दीन दयामल धाम पड़रा, रीवा (म.प्र.)	13/3883–ए
96.	श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी आ. श्री सतानंद त्रिपाठी, क्वा.नं. एसबी/60, संजय नगर कॉलोनी, जिला–अनूपपुर (म.प्र.)	47/3885–ए
97.	श्री करतारसिंह ठाकुर आ. श्री मोहनसिंह ठाकुर, द्वारा ओमप्रकाश बांझल, म.नं. 342, दुबे कॉलोनी, गुना (म.प्र.)	06/3888–ए
98.	श्री इकबाल अहमद खान, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, संकट मोचन मार्ग, छतरपुर (म.प्र.)	08/3891–ए
99.	मेसर्स मॉ शारदा इलेक्ट्रिकल, प्रो. राजकुमार विश्वकर्मा, महर्षि कॉलोनी, मैहर, जिला–सतना (म.प्र.) 485771	12/3896
100.	श्री चन्द्रेश कुमार बारेबार, श्याम फोटो कॉपी, बस स्टेण्ड, बालाघाट (म.प्र.)	38/3942–ए
101.	श्री चेतराम नरवरे, सेवा निवृत्त इले. इंजीनियर, डब्ल्युसीएल पाथाखेड़ा, ग्राम–सरी, तहसील–मुलताई, जिला– बैतूल (म.प्र.)	34/4011–ए
102.	मेसर्स विश्वनाथ प्रतापसिंह रघुवंशी, 15, मुहासा, ग्राम–मुहासा, तह.–आरोन, जिला–गुना (म.प्र.) 473101	06/4187–ए

(ए. के. दुबे)
सचिव,
म. प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत)
भोपाल

सूची क्रमांक–तीन

निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियाँ उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी हैं

क्र. (1)	विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता (2)	विद्युत् ठेके. अनुज्ञप्ति क्रमांक (3)	निरस्तीकरण दिनांक (4)
1.	श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शंकर बाजार, अम्बाह, जिला–मुरैना (म.प्र.)	194–"अ"	03–04–2014
2.	श्री अरूण कुमार गुप्ता, आ. श्री डी.पी. गुप्ता, गली नं. 2, चॉदबड, भोपाल (म.प्र.)	477–"अ"	15–03–2014
3.	श्री सुरेश महाजन, प्रो. सुरेश महाजन एण्ड कम्पनी, 53 जैन मंदिर पथ, खरगौन (म.प्र.)	617–"अ"	19–08–2014
4.	श्री शिरीष सुधाकर पुरन्दर, ए–86, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	875–"अ"	16–08–2014
5.	श्री गुलाम मुस्तफा, प्रो. मेसर्स सूर्या इलेक्ट्रीकल, बंगला नं. 19, जे एण्ड जे स्कूल बिल्डिंग, सीबीपीएफ रोड़, नीमच (म.प्र.)	1091–"अ"	24–12–2013
6.	श्री पन्नालाल गोविन्द जी मकवाने, 950–बी, स्कीम नं. 71, इन्दौर (म.प्र.)	23/1531–"अ"	27–01–2014
7.	श्रीमती दीपाली पटेल, यूनिटेक इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट, 423, स्कीम नं. 59, अभितेष नगर, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	23/1603–"अ"	10–08–2013
8.	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, 762 राममंदिर, दीक्षितपुरा, जबलपुर (म.प्र.)	33/1621–"अ"	05–08–2014
9.	श्री सैयद विकार अली, एस–1, आशियाना कॉम्पलेक्स, आलसेंट स्कूल के पास, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	28/1816–"अ"	05–11–2013
10.	श्री दीपक शर्मा आ. श्री कृष्णराव शर्मा, 76, न्यू सरस्वती नगर, खरगौन, जिला – खरगौन (म.प्र.)	24/1900–"अ"	25–03–2014
11.	श्री सुमेश सिंह नागपाल, 143/बी, इन्द्रपुरी भेल, भोपाल (म.प्र.)	28/2019–"अ"	19–01–2014
12.	श्री कुमुद चन्द्र गोरावाला, 26/ए, बलदेव बाग, जबलपुर (म.प्र.)	33/2158–"अ"	28–02–2013
13.	श्री आशुतोष पटैरिया, 365, विन्ध्या वासिनी, नेहा नगर, मकरोनिया, सागर (म.प्र.)	09/2261–"अ"	10–07–2014
14.	श्री किर्ती कुमार जैन, मेसर्स अरिहंत सेल्स, खेरमाई रोड़, सतना (म.प्र.)	12/2488–"अ"	30–07–2014
15.	श्री अजय कुमार शुक्ला, 681, गढ़ाफाटक, रानीताल, लिंक रोड़, जबलपुर (म.प्र.)	33/2502–"अ"	17–01–2014

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	श्री काशीप्रसाद दीक्षित, सेवा निवृत्त सहायक यंत्री, लाला का बाजार चौराहा, ग्वालियर (म.प्र.)	03/2812–"अ"	20–04–2013
17.	श्री शेख मन्नान, म.नं. 154, सईद कॉलोनी, निशातपुरा, बैरसिया रोड़, भोपाल (म.प्र.)	28/2819–"अ"	24–08–2014
18.	श्री विवेक जोशी, 57, एम.आई.जी., इंदिरा नगर, उज्जैन (म.प्र.)	18/2844–"अ"	13–07–2014
19.	श्री इन्द्रकुमार पंजवानी, द्वारा–नर्मदा इलेक्ट्रिकल्स, पिपरिया, जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)	32/2975–"अ"	13–08–2014
20.	श्री सुनील कुमार सातव आ. श्री सीताराम सातव, एस. 111, 112, यशवंत प्लाजा, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)	23/2982–"अ"	11–05–2014
21.	श्री राजेश वन्देवार, लाल बाग, पी.जी. कॉलेज रोड़, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	36/3038–"अ"	17–04–2014 (ठेके. की मृत्यु होने से)
22.	श्री प्रखर श्रीवास्तव, दुर्गा मंदिर के पास, प्रेम नगर, सतना (म.प्र.)	12/3048–"अ"	06–09–2014
23.	श्री श्यामलाल तालनपुरिया, द्वारा ब्राईट इले. इंजीनियरिंग वर्क्स, मेन रोड़, सूरज गंज इटारसी, होशंगाबाद (म.प्र.)	32/3075–"अ"	30–01–2013 (ठेके. की मृत्यु होने से)
24.	श्री आर एल सोनी आ. श्री हरप्रसाद सोनी, मनं. व्ही 1/36, एम ए एन आई टी कैम्पस, भोपाल (म.प्र.)	28/3187–"अ"	05–07–2014
25.	श्री मिलिन कुमार पटेल आ. श्री कृष्णदास पटेल, वार्ड नं.–1, नाथ मंदिर की गली, महाजना पेठ, बुरहानपुर, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)	41/3343–"अ"	15–12–2013
26.	श्री आशीष रत्नाकर, माधवगंज थाने के पीछे, सात भाई का गोठ, लश्कर – ग्वालियर (म.प्र.)	03/3388–"अ"	10–07–2014
27.	श्री वैकटेश्वर सिंह रघुवंशी, आनंदपुर रोड़, लटेरी, जिला–विदिशा (म.प्र.)	27/3493–"अ"	11–06–2014
28.	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ए–1/14–एमआईजी सॉवेर रोड़, वेद नगर, उज्जैन (म.प्र.)	18/3613–"अ"	01–03–2013
29.	श्री देवेन्द्र अवस्थी, 50–शांति नगर, जैन कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	23/3812–"अ"	13–07–2014
30.	श्री संजीव सिंह आ. श्री नारायण सिंह कुशवाहा, 165, बृजेश्वरी एनेक्स बी, बंगाली चौराहे के पास, इन्दौर (म.प्र.)	23/3855–"अ"	14–07–2014

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	श्री आशीष गुर्जर, बी–2/131, सागर स्टेट्स, अयोध्या बायपास रोड़, भोपाल (म.प्र.)	28/3960–"अ"	08–04–2014
32.	श्री ए. के. राठौर, 97 चिकित्सा नगर, बॉम्बे हास्पिटल के सामने, इन्दौर (म.प्र.) 452010	23/3982–"अ"	
33.	श्री मुश्तक अहमद खान, 34, नीलम कॉलोनी, लिली टॉकीज के पास, भोपाल (म.प्र.)	28/4000–"अ"	18–02–2014
34.	मेसर्स बी.एस. टासकॉम लिमि., 504, ट्रेण्ड सेटे टवर्स रोड़ नं. 2, बंजारा हिल्स – हैदराबाद (आ.प्र.)	यूएस/4031–"अ"	31–12–2013
35.	श्री ठाकुरप्रसाद सूर्यवंशी, मु.पो. सिरगौरा, क्वॉटर नं. बी/23, तहसील–परासिया, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	36/4116–"अ"	08–01–2013
36.	श्री देवेन्द्र कुमार टेलर, आत्मज श्री सुरेश चन्द्र टेलर, क्वेन्स 305, शालीमार टाउनशिप, ए. बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)	28/4226–"अ"	02–06–2014
37.	श्री जितेन्द्र जाट आ. श्री दशरथ लाल जाट, 340, नयापुरा, देगवाड़ा, ग्राम–, तहसील–बड़ नगर जिला – उज्जैन (म.प्र.)	18/4326–"अ"	29–05–2013 (ठेके. की मृत्यु होने से)
38.	श्री अंकुश महोदया आ. श्री हीरालाल महोदिया, 29, प्रेस कॉलोनी, आनंद नगर, भोपाल (म.प्र.)	28/4344–"अ"	26–01–2014
39.	श्री अम्बरीश शर्मा, गरिमा इलेक्ट्रिकल्स, 21/3, वर्धमान कॉलोनी, गुना (म.प्र.)	06/7179–"अ"	05–05–2014

(ए. के. दुबे)
सचिव,
मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्),
भोपाल.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्र. 6497-2858-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2014 को प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	रीवा संभाग	
1	सुश्री गीता नीलम	कृषि विकास अधिकारी
	शहडोल संभाग	
2	श्रीमती रेखा अहिरवार	कृषि विकास अधिकारी
3	श्री सुकुमार मिंज	सहायक संचालक, कृषि
	निम्नस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्रीमती सीमा डेहरिया	कृषि विकास अधिकारी.

क्र. 6501-2877-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उज्जैन संभाग	
1	कु. वन्दना ठाकुर	वनक्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
2	श्री गौरव नामदेव	वनक्षेत्रपाल
3	श्री सुरेश कुमार भलावी	वनक्षेत्रपाल
4	श्री अनिल कुमार नेती	वनक्षेत्रपाल
5	श्री संतोष मर्सकोले	वनक्षेत्रपाल
6	श्रीमती विद्या गिनारे	वनक्षेत्रपाल
7	श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर	वनक्षेत्रपाल
8	श्रीमती नम्रता अग्रवाल	वनक्षेत्रपाल
9	कु. तुष्टि सिंह चौहान	वनक्षेत्रपाल
10	श्रीमती नीता शाह	वनक्षेत्रपाल
11	श्री देवेश गौतम	वनक्षेत्रपाल
12	श्रीमती सुनीता उइके	वनक्षेत्रपाल
13	श्रीमती पुष्पा सिंह	वनक्षेत्रपाल
14	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा	वनक्षेत्रपाल
	ग्वालियर संभाग	
15	सुश्री स्वाति पाठक	वनक्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
16	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल
	होशंगाबाद संभाग	
17	श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागड़े	वनक्षेत्रपाल.

क्र. 6503-2857-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	शहडोल संभाग	
1	श्रीमती रेखा अहिरवार	कृषि विकास अधिकारी
2	श्री सुकुमार मिंज	सहायक संचालक, कृषि
	निम्नास्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्रीमती सीमा डेहरिया	कृषि विकास अधिकारी
	रीवा संभाग	
1	सुश्री गीता नीलम	कृषि विकास अधिकारी.

क्र. 6505-2787-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, समस्त विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2014 को प्रश्नपत्र-हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1	श्री संदीप जी. आर.	सहायक कलेक्टर
2	श्री सतीश कुमार एस	सहायक कलेक्टर
	शहडोल संभाग	
3	श्री रामचन्द्र शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
4	श्री ओम प्रकाश मिश्र	राजस्व निरीक्षक
5	श्री विजय कान्त पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
6	श्री सुकुमार मिंज	सहायक संचालक, कृषि
	इन्दौर संभाग	
7	डॉ. आनंद पाटीदार	सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा
8	डॉ. दिलीप कनाश	सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा
9	डॉ. दर्गेश गुप्ता	सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा
10	श्री मुकेश भूरिया	परियोजना अधिकारी, म. एवं बा. वि. वि.

क्र. 6507-2860-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री रत्नेश भदौरिया	जिला पंजीयक.

क्र. 6509-2859-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री रत्नेश भदौरिया	जिला पंजीयक.

क्र. 6511-2887-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
1	कु. ईशा पन्त	सी.एस.पी.
	ग्वालियर संभाग	
2	श्री परमाल सिंह मेहरा	उप पुलिस अधीक्षक.

क्र. 6513-2788-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-दूसरा सामान्य विधि (सहायक वन संरक्षकों के लिए—पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
1	सुश्री मीना कुमार मिश्रा	सहायक वन संरक्षक
	ग्वालियर संभाग	
2	श्री नरेश चन्द्र पाटीदार	सहायक वन संरक्षक

(1)	(2)	(3)
	इंदौर संभाग	
3	श्री शरद चन्द्र दुबे	वनक्षेत्रपाल
	उज्जैन संभाग	
4	श्री विजय सिंह	सहायक वन संरक्षक
	भोपाल संभाग	
5	श्री सुधीर पटले	वनक्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
6	श्री राजकुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल.

क्र. 6515-2881-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-तृतीय सामान्य विधि (वन क्षेत्रपालों के लिए—पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
1	श्री आनन्द शिवहरे	वनक्षेत्रपाल
	ग्वालियर संभाग	
2	कु. स्वाति पाठक	वनक्षेत्रपाल

क्र. 6517-2776-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशुलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्डस एरिया) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उज्जैन संभाग	
1	श्री गिरीश कुमार माथनकर	उपयंत्री
2	श्री सरोज बाबू वंजारी	उपयंत्री

(1)	(2)	(3)
	इंदौर संभाग	
3	श्री एन. के. शर्मा	उपयंत्री
4	श्री संजु सिंह बडोदिया	उपयंत्री
	जबलपुर संभाग	
5	श्री अच्छेलाल प्रजापति	उपयंत्री
6	श्री ए. एस. हाडे	सहायक यंत्री
7	श्रीमती हेमलता बिनकर	सहायक यंत्री
8	श्री अशोक कावड़े	सहायक यंत्री
	होशंगाबाद संभाग	
9	श्री लक्ष्मीनारायण मानमोडे	उपयंत्री
10	श्री लखनेश कुमार विश्वकर्मा	सहायक यंत्री.

क्र. 6519-2880-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री संतोष कुमार शिवहरे	सहायक प्रबंधक (सश्रेय)
2	श्री आसित वर्मा	सहायक प्रबंधक (सश्रेय).

क्र. 6521-2866-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-प्रथम प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
1	श्री मार्तण्ड सिंह मरावी	वनक्षेत्रपाल
	ग्वालियर संभाग	
2	श्री नरेश चन्द्र पाटीदार	वनक्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
	इंदौर संभाग	
3	श्री संजय सिंह राजपूत	वनक्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
4	श्री देवेश गौतम	वनक्षेत्रपाल
5	सुश्री सुनीता उइके	वनक्षेत्रपाल
6	श्रीमती पुष्पा सिंह	वनक्षेत्रपाल
7	श्री राजकुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल
8	श्री राहुल कुमार धारू	वनक्षेत्रपाल
9	कु. कीर्ति बाला गुप्ता	वनक्षेत्रपाल
10	कु. तुष्टि सिंह चौहान	वनक्षेत्रपाल
11	श्रीमती नीता शाह	वनक्षेत्रपाल
12	श्रीमती नम्रता अग्रवाल	वनक्षेत्रपाल
13	श्री आनन्द शिवहरे	वनक्षेत्रपाल
14	श्रीमती विद्या गिनारे	वनक्षेत्रपाल.

क्र. 6523-2793-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (टिप्पणी रहित-केवल अधिनियम एवं नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री विक्रम छिरौल्या	उप पंजीयक
	भोपाल संभाग	
2	श्री रत्नेश भदौरिया	जिला पंजीयक
3	श्री आनन्द कुमार पाण्डेय	उप पंजीयक
	निम्नस्तर	
	रीवा संभाग	
1	कु. पूनम श्रीवास्तव	उप पंजीयक.

क्र. 6529-2783-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन, पंचायत, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री सोमेश मिश्र	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
2	श्री अनूप कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री सतीश कुमार एस.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
4	श्री अमनवीर सिंह बैंस	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्री एस. कृष्ण चैतन्य	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
6	श्री प्रियंक मिश्रा	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7	श्री मयंक अग्रवाल	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री हर्ष दीक्षित	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
9	श्री ऋषि गर्ग	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
10	श्री फ्रैंक नोबल ए.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
11	श्री संदीप जी. आर.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
12	सुश्री रजनी सिंह	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
13	कु. सोनिया मीना	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
14	कु. गरिमा रावत	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
15	कु. स्वाति जैन	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
16	श्री प्रेमशंकर पटेल	नायब तहसीलदार
17	श्री भविष्य भास्कर	नायब तहसीलदार
	उज्जैन संभाग	
18	श्री योगेन्द्र तिवारी	राजस्व निरीक्षक
19	श्री सुनील अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
20	श्री आदर्श कुमार जामगड़े	पटवारी
	होशंगाबाद संभाग	
21	श्री नितिन कुमार टाले	नायब तहसीलदार
22	कु. अंकिता बाजपेयी	नायब तहसीलदार
	सागर संभाग	
23	श्री दीपक कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
24	श्री निर्मल सिंह राठौर	नायब तहसीलदार
25	श्री संजय कुमार गर्ग	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)
26	श्री मोहित कुमार जैन	नायब तहसीलदार
27	श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया	राजस्व निरीक्षक
28	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
29	श्री योगेन्द्र चौधरी	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
	इंदौर संभाग	
30	श्री गोपाल सिंह वर्मा	तहसीलदार
31	श्री अनिल मंडराह	नायब तहसीलदार
32	श्री चन्द्र कुवंर सिंह	नायब तहसीलदार
	जबलपुर संभाग	
33	श्री यजुवेन्द्र कोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
34	श्री रवि शंकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
	ग्वालियर संभाग	
35	डॉ. मधुलिका सिंह तोमर	नायब तहसीलदार
36	श्री चक्रपान सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पी. सी. ओ.)

निम्नस्तर

	भोपाल संभाग	
1	श्री कैलाश मालवीय	नायब तहसीलदार
2	श्री हरिदास मेवारी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
3	श्री कन्हैयालाल चौहान	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कृष्णपाल सिंह बडकारे	राजस्व निरीक्षक
5	श्री दिनेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक
6	श्री ब्रजलाल बाड़ीवा	राजस्व निरीक्षक
7	श्री आलोक भद्र	राजस्व निरीक्षक
8	श्री किशोर सिंह सिकरवार	राजस्व निरीक्षक
9	श्री प्रमोद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
10	श्री निर्भय सिंह पारस	राजस्व निरीक्षक
11	श्री मोहनलाल गोयल	राजस्व निरीक्षक
12	श्री करमचन्द डोडियार	राजस्व निरीक्षक
13	श्री ओम प्रकाश मालवीय	पटवारी
	होशंगाबाद संभाग	
14	श्री विष्णुकान्त कौशल	राजस्व निरीक्षक
15	कु. शैली धुर्वे	पटवारी
16	सुश्री नीतू श्रीवास्तव	पटवारी
17	श्री रामभरोस सरयाम	पटवारी
	सागर संभाग	
18	श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी	नायब तहसीलदार
19	श्री प्रदीप कुमार खरे	सहा. अधी. भू-अभिलेख
20	श्री एम. एल. जैन	सहा. अधी. भू-अभिलेख
21	श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
22	श्री महराज सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
23	श्री मनीराम कोंदर	राजस्व निरीक्षक
24	श्री शेषमणि शर्मा	राजस्व निरीक्षक
25	श्री जय प्रकाश पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
26	श्री रामगोपाल नायक	राजस्व निरीक्षक
27	श्री अभिषेक जैन	पटवारी
	इंदौर संभाग	
28	श्री शुभंम सोनी	नायब तहसीलदार
29	श्री यशपाल मुजाल्दा	नायब तहसीलदार
30	कु. सुमन बाथम	नायब तहसीलदार
31	श्री हर्ष विक्रम सिंह	नायब तहसीलदार
32	श्री इन्द्रभान सिंह चौहान	सहा. अधी. भू-अभिलेख
33	श्री राजेन्द्र प्रसाद काशिव	सहा. अधी. भू-अभिलेख
34	श्री सुनील करवरे	राजस्व निरीक्षक
35	श्री ओम प्रकाश गोयल	राजस्व निरीक्षक
	रीवा संभाग	
36	कु. अनामिका सिंह	नायब तहसीलदार
37	श्री लक्ष्मीप्रसाद अहिरवार	नायब तहसीलदार
38	श्री दिवाकर प्रताप सिंह	सहा. अधी. भू-अभिलेख
39	श्री कमलेश प्रसाद पाठक	राजस्व निरीक्षक
40	श्री अरूण प्रताप सिंह	राजस्व निरीक्षक
41	श्री राजेश कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक
42	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
43	श्री राजेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
	शहडोल संभाग	
44	श्री विजय कान्त पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
45	श्री शांतिलाल विश्नोई	नायब तहसीलदार
46	श्री विष्णु दयाल पनिका	राजस्व निरीक्षक
47	श्री अरूण भुषण दुबे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
48	श्री ओमकार प्रसाद बनवासी	राजस्व निरीक्षक
49	श्री सीपतसिंह मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
50	श्री राम प्रकाश वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
51	श्री दुलारे लाल परते	राजस्व निरीक्षक
52	श्री मनोज कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
53	श्री श्याम सुंदर आनंद	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

54	कु. ज्योति राजपूत	नायब तहसीलदार
55	श्री रघुवर दयाल गुप्ता	सहा. अधी. भू-अभिलेख
56	श्री जालिम सिंह मांहुने	पंचायत समन्वय अधिकारी
57	श्री राजेन्द्र सिंह परमार	राजस्व निरीक्षक
58	श्री मुरारीलाल उप्रैती	राजस्व निरीक्षक
59	श्री बृजेश कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक

क्र. 6531-2782-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री सोमेश मिश्र	सहायक कलेक्टर
2	श्री संदीप जी. आर.	सहायक कलेक्टर
3	श्री फ्रैंक नोबल ए.	सहायक कलेक्टर
4	श्री ऋषि गर्ग	सहायक कलेक्टर
5	श्री प्रियंक मिश्रा	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
6	श्री अनूप कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7	श्री हर्ष दीक्षित	सहायक कलेक्टर
8	कु. सोनिया मीना	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
9	श्री मयंक अग्रवाल	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
10	श्री अमनबीर सिंह बैंस	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
11	श्री एस. कृष्ण चैतन्य	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
12	श्री सतीश कुमार एस.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
13	कु. गरिमा रावत	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
14	कु. स्वाति जैन	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
15	श्री भविष्य भास्कर	नायब तहसीलदार
16	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

होशंगाबाद संभाग

17	श्री नितिन कुमार टाले	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
18	कु. अंकिता बाजपेयी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
19	श्रीमती नीतू श्रीवास्तव	पटवारी

उज्जैन संभाग

20	श्री योगेन्द्र तिवारी	राजस्व निरीक्षक
21	श्री सुनील अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

22	श्री मोहित कुमार जैन	नायब तहसीलदार
23	श्री संजय कुमार गर्ग	नायब तहसीलदार
24	श्री दीपक कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
25	श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
26	श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
27	श्री विनय मूर्ति शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख (सश्रेय).
28	श्री जय प्रकाश शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
29	श्रीमती आरती राणा	पटवारी (सश्रेय)

इंदौर संभाग

30	श्री चन्द्र कुवंर सिंह	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
31	कु. सुमन बाथम	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
32	श्री गोपाल सिंह वर्मा	तहसीलदार (सश्रेय)
33	श्री हर्ष विक्रम सिंह	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
34	श्री अनिल मंडराह	नायब तहसीलदार

रीवा संभाग

35	कु. अनामिका सिंह	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
36	श्री राजेश कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक
37	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

38	श्रीमती दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
39	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
40	श्री मनोज कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
41	श्री लालमणि सतनामी	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

42	डॉ. महेश सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
43	डॉ. मधुलिका सिंह तोमर	नायब तहसीलदार
44	कु. ज्योति राजपूत	नायब तहसीलदार (सश्रेय)

(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	सुश्री कल्पना के.	नायब तहसीलदार
2	श्री कैलाश मालवीय	नायब तहसीलदार
3	श्री आलोक भद्र	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कन्हैयालाल चौहान	राजस्व निरीक्षक
5	श्री कृष्णपाल सिंह बडकरे	राजस्व निरीक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
6	श्री रामभरोस सरयाम	पटवारी
	उज्जैन संभाग	
7	श्री मोहनलाल गोयल	राजस्व निरीक्षक
8	श्री आदर्श कुमार जामगड़े	पटवारी
	सागर संभाग	
9	श्री योगेन्द्र चौधरी	राजस्व निरीक्षक
10	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
11	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
12	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
14	श्री रतनसिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
	इंदौर संभाग	
15	श्री यशपाल मुजाल्दा	नायब तहसीलदार
16	श्री शुभंम सोनी	नायब तहसीलदार
17	श्री ओम प्रकाश गोयल	राजस्व निरीक्षक
	रीवा संभाग	
18	श्री लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार	नायब तहसीलदार
19	श्री दिवाकर प्रताप सिंह	सहा. अधी. भू-अभिलेख
20	श्री अरूण प्रताप सिंह	राजस्व निरीक्षक
21	श्री हरिलाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
22	श्री पन्ना लाल रावत	राजस्व निरीक्षक
	शहडोल संभाग	
23	श्री ओम प्रकाश मिश्र	राजस्व निरीक्षक
24	श्री शिवकान्त दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
25	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
26	श्री चन्द्र सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
27	श्री दिलीप सिंह	नायब तहसीलदार
28	श्री हेमराज झारिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख
29	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
30	श्री हरवंश ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
31	श्री जुगल किशोर नेमा	राजस्व निरीक्षक
32	श्री अरूण भुषण दुबे	राजस्व निरीक्षक
33	श्री रवि शंकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
34	श्री राम प्रकाश वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
35	श्री सीपतसिंह मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
36	श्री दुलारे लाल परते	राजस्व निरीक्षक
37	श्री कैलाश प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
38	श्री बलजीत रावत	राजस्व निरीक्षक
39	श्री कैलाश प्रसाद उइके	राजस्व निरीक्षक
40	श्री महेश कुमार वट्टी	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
41	श्री राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय	तहसीलदार
42	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
43	श्री रविनंदन तिवारी	राजस्व निरीक्षक

क्र. 6533-2779-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री सोमेश मिश्र	सहायक कलेक्टर
2	श्री अनूप कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
3	श्री सतीश कुमार एस.	सहायक कलेक्टर
4	श्री अमनवीर सिंह बैंस	सहायक कलेक्टर
5	श्री एस. कृष्ण चैतन्य	सहायक कलेक्टर
6	श्री प्रियंक मिश्रा	सहायक कलेक्टर
7	श्री मयंक अग्रवाल	सहायक कलेक्टर
8	श्री हर्ष दीक्षित	सहायक कलेक्टर
9	श्री ऋषि गर्ग	सहायक कलेक्टर
10	श्री फ्रैंक नोबल ए.	सहायक कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
11	श्री संदीप जी. आर.	सहायक कलेक्टर
12	सुश्री रजनी सिंह	सहायक कलेक्टर
13	कु. सोनिया मीना	सहायक कलेक्टर
14	कु. गरिमा रावत	डिप्टी कलेक्टर
15	सुश्री स्वाति जैन	डिप्टी कलेक्टर
	उज्जैन संभाग	
16	श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
17	श्री मूलचन्द जुनवाल	राजस्व निरीक्षक
	सागर संभाग	
18	श्री दीपक कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
19	श्री विनय मूर्ति शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख (सश्रेय)
20	श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी	सहा. अधी. भू-अभिलेख (सश्रेय)
21	श्री सुशील कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
	इंदौर संभाग	
22	श्री अनिल मंडराह	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
23	कु. सुमन बाथम	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
24	श्री हर्ष विक्रम सिंह	नायब तहसीलदार
25	श्री चन्द्र कुंवर सिंह	नायब तहसीलदार
26	श्री यशपाल मुजाल्दा	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
27	श्री ओम प्रकाश गोयल	राजस्व निरीक्षक
28	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक
29	श्री राकेश पगारे	राजस्व निरीक्षक
30	श्री अनिल मेहता	राजस्व निरीक्षक
31	श्री शेखर बापट	राजस्व निरीक्षक
32	श्री योगेन्द्र सिंह राठौर	राजस्व निरीक्षक
33	श्री चन्द्र शेखर जोशी	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
34	श्री हेमराज झारिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख
35	श्री संतोष कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
36	श्री आश नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
37	श्री सुन्दर लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
38	श्री हरवंश ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
39	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
40	श्री बृजभान सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
41	श्री अरूण भूषण दुबे	राजस्व निरीक्षक
42	श्री रविशंकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
43	श्री कैलाश प्रसाद उइके	राजस्व निरीक्षक
44	श्री कुंवरलाल राउत	राजस्व निरीक्षक
45	श्री महेश कुमार वट्टी	राजस्व निरीक्षक
46	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
47	श्री लालमणि सतनामी	राजस्व निरीक्षक
48	श्री प्रसन्न कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
49	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
50	श्री विवेक मुले	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
51	श्री राजेश कुमार पटवा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
	रीवा संभाग	
52	श्री कमलेश प्रसाद पाठक	राजस्व निरीक्षक
53	श्री अरूण प्रताप सिंह	राजस्व निरीक्षक
54	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
55	श्री नीरज कुमार बैस	राजस्व निरीक्षक
56	श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

	भोपाल संभाग	
1	श्री भविष्य भास्कर	नायब तहसीलदार
2	सुश्री कल्पना के.	नायब तहसीलदार
3	श्री ब्रजलाल बाड़ीवा	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कन्हैयालाल चौहान	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
5	श्री सुनील अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
6	श्री निर्भय सिंह पारस	राजस्व निरीक्षक
7	श्री योगेन्द्र तिवारी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री सतीश व्यास	राजस्व निरीक्षक
9	श्री आदर्श कुमार जामगड़े	पटवारी
10	श्री ओम प्रकाश मालवीय	पटवारी
	सागर संभाग	
11	श्री मोहित कुमार जैन	नायब तहसीलदार
12	श्री संजय कुमार गर्ग	नायब तहसीलदार
13	श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी	नायब तहसीलदार
14	श्री एम. एल. जैन	सहा. अधी. भू-अभिलेख
15	श्री राजीव कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
16	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री शेषमणि शर्मा	राजस्व निरीक्षक
18	श्री प्रमोद कुमार पुष्पध	राजस्व निरीक्षक
19	श्री योगेन्द्र चौधरी	राजस्व निरीक्षक
20	श्री कृष्ण कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
21	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
22	श्री राजेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
23	श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
25	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
26	श्रीमती आरती राणा	पटवारी
27	श्री मनोज कुमार पटैरिया	पटवारी

इंदौर संभाग

28	श्री अन्तरसिंह कनेश	नायब तहसीलदार
29	श्रीमती किरण गेहलोत	नायब तहसीलदार
30	श्री राजेन्द्र प्रसाद काशिव	सहा. अधी. भू-अभिलेख
31	श्री मेहमूद अली शाह	राजस्व निरीक्षक
32	श्री शंकर लाल जोशी	राजस्व निरीक्षक
33	श्री नंद किशोर मालवीया	राजस्व निरीक्षक
34	श्री विक्टर रोड्रिग्स	राजस्व निरीक्षक
35	श्री वेद कुमार पंड्या	राजस्व निरीक्षक
36	श्री कैलाश सिसौदिया	राजस्व निरीक्षक
37	श्री राजेश जोशी	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

38	श्री उमेश्वर साय पैंकरा	राजस्व निरीक्षक
39	श्री शिवकान्त दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
40	श्री सुखलाल सिंह	राजस्व निरीक्षक
41	श्री बैशाखू राम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

42	कु. अभिनंदना शर्मा	नायब तहसीलदार
43	श्री बिनोद कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
44	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
45	श्री विष्णु दयाल पनिका	राजस्व निरीक्षक
46	श्री शनिलाल सिरसाम	राजस्व निरीक्षक
47	श्री सोहन लाल यादव	राजस्व निरीक्षक
48	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक
49	श्री हीरालाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
50	श्री राम प्रकाश वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
51	श्री गुरूदास प्रसाद मेहरा	राजस्व निरीक्षक
52	श्री राज बहादुर सिंह चिचाम	राजस्व निरीक्षक
53	श्री दुलाले लाल परते	राजस्व निरीक्षक
54	श्री कमलेश कुमार सतनामी	राजस्व निरीक्षक
55	श्री राज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
56	श्री रिपूदमन सिंह	राजस्व निरीक्षक
57	श्री दिनेश यादव	राजस्व निरीक्षक
58	श्री मनोज कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
59	श्री मणिराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
60	श्री अनिल कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
61	श्री मुकुल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
62	श्री संजय जाट	राजस्व निरीक्षक
63	श्री वीरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

64	डॉ. महेश सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
65	डॉ. मधुलिका सिंह तोमर	नायब तहसीलदार
66	कु. ज्योति राजपूत	नायब तहसीलदार
67	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
68	मोहम्मद रज्जाक खॉन	राजस्व निरीक्षक
69	श्रीमती शबाना कुरैशी	राजस्व निरीक्षक
70	श्री रविनंदन तिवारी	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

71	कु. अनामिका सिंह	नायब तहसीलदार
72	श्री लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार	नायब तहसीलदार
73	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	सहा. अधी. भू-अभिलेख
74	श्री अकलेश मालवीय	सहा. अधी. भू-अभिलेख
75	श्री राजेश कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक
76	श्री हंसराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
77	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
78	श्री हरिलाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

79	कु. अंकिता बाजपेयी	नायब तहसीलदार
80	श्री श्याम सिंह उइके	राजस्व निरीक्षक
81	श्री हीरू कुमरे	राजस्व निरीक्षक
82	श्री नितिन कुमार टाले	नायब तहसीलदार

क्र. 6535-2780-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र-द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री सोमेश मिश्र	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
2	श्री अनूप कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
3	श्री प्रियंक मिश्र	सहायक कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
4	श्री हर्ष दीक्षित	सहायक कलेक्टर
5	श्री ऋषि गर्ग	सहायक कलेक्टर
6	श्री संदीप जी.आर.	सहायक कलेक्टर
7	कु. सोनिया मीना	सहायक कलेक्टर
8	कु. गरिमा रावत	डिप्टी कलेक्टर
9	कु. स्वाति जैन	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
10	श्री भविष्य भास्कर	नायब तहसीलदार
	उज्जैन संभाग	
11	श्री ओम प्रकाश मालवीय	पटवारी
	इन्दौर संभाग	
12	श्री चन्द्र कुंवर सिंह	नायब तहसीलदार

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	सुश्री रजनी सिंह	सहायक कलेक्टर
2	श्री फ्रैंक नोबल ए.	सहायक कलेक्टर
3	श्री मयंक अग्रवाल	सहायक कलेक्टर
4	श्री अमनबीर सिंह बैंस	सहायक कलेक्टर
5	श्री सतीश कुमार एस.	सहायक कलेक्टर
6	श्री एस. कृष्ण चैतन्य	सहायक कलेक्टर
7	सुश्री कल्पना के.	नायब तहसीलदार
8	श्री कैलाश मालवीय	नायब तहसीलदार
9	श्री ब्रजलाल बाड़ीवा	राजस्व निरीक्षक
10	श्री आलोक भद्र	राजस्व निरीक्षक
11	श्री कन्हैयालाल चौहान	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
12	श्री आदर्श कुमार जामगड़े	पटवारी
	सागर संभाग	
13	श्री दीपक कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
	इन्दौर संभाग	
14	श्री शुभम सोनी	नायब तहसीलदार
15	श्री यशपाल मुजाल्दा	नायब तहसीलदार
16	श्री अनिल मंडराह	नायब तहसीलदार
17	श्री हर्ष विक्रम सिंह	नायब तहसीलदार
18	कु. सुमन बाथम	नायब तहसीलदार
19	श्री मेहमूद अली शाह	राजस्व निरीक्षक
	शहडोल संभाग	
20	श्री सनत कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
21	श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
22	श्री राज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
23	श्री योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री रविनंदन तिवारी	राजस्व निरीक्षक

क्र. 6537-2791-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री संतोष कुमार बघेल	सहायक वणिज्यिक कर अधिकारी.
2	श्री प्रकाश सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
3	डॉ. आलोक मिश्रा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
4	सुश्री आरती यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
5	श्री दीपक मरमट	कराधान सहायक
6	कु. प्रियंका शिवहरे	कराधान सहायक
7	श्री महेश बघेल	काधान सहायक
8	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9	श्री राधेश्याम सोलंकी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
10	श्री विमलेश राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
11	श्री हेमन्त खेर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
12	श्री कमलेश पाटीदार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
13	श्रीमती आस्था द्विवेदी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
14	श्री कुम्भकरण मौर्य	वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).

निम्नस्तर

जबलपुर संभाग

1	कु. सुलेका नामदेव	कराधान सहायक
2	श्री शैवाल सिंह	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
3	कु. शीतल मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी
4	कु. आराधना पाण्डेय	कराधान सहायक

इन्दौर संभाग

5	श्री अम्बाराम मौर्य	कराधान सहायक
6	श्री संदीप कुमार रायकवार	कराधान सहायक
7	कु. चित्रांशी डामोर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
8	डॉ. दीप्ति गुप्ता	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9	श्री राजेश चौहान	कराधान सहायक
10	श्री ओम प्रकाश यादव	कराधान सहायक
11	सुश्री सीमा त्रिपाठी	कराधान सहायक
12	श्री अभिमनोज पोरवाल	कराधान सहायक
13	कु. प्रियम् माहेश्वरी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
14	कु. मधुबाला कश्यप	कराधान सहायक
15	श्रीमती हेमलता बरोनिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	डॉ. अरविन्द्र कौर गांधी	कराधान सहायक

भोपाल संभाग

17	श्रीमती अंजली मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
19	श्री मुकुल कुमार गुप्ता	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
20	कुमार अभिषेक खरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी
21	श्रीमती निशांकी सिघंई	वाणिज्यिक कर अधिकारी
22	कु. पूनम परिहार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
23	कु. सिम्मी जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी
24	श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

क्र. 6539-2879-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
	होशंगाबाद संभाग	
1	सुश्री मीना कुमार मिश्रा	सहायक वन संरक्षक
2	श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग	
3	श्री शरद चन्द्र दुबे	वन क्षेत्रपाल
	उज्जैन संभाग	
4	श्री विजय सिंह	सहायक वन संरक्षक
	जबलपुर संभाग	
5	श्री संतोष मर्सकेले	वन क्षेत्रपाल
6	श्री अनिल कुमार नेती	वन क्षेत्रपाल

क्र. 6541-2865-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
	ग्वालियर संभाग	
1	श्री राजेन्द्र सिंह बैस	उपयंत्री
2	श्री गनपत प्रसाद कोरी	उपयंत्री
3	श्री राज कुमार चौरसिया	उपयंत्री
	उज्जैन संभाग	
4	श्री सरोज बाबू वंजारी	उपयंत्री
	सागर संभाग	
5	श्री अतुल जैन	उपयंत्री
	भोपाल संभाग	
6	श्री राहुल मिश्रा	उपयंत्री
	इन्दौर संभाग	
7	श्री संजु सिंह बडोदिया	उपयंत्री

क्र. 6543-2886-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1	श्री रत्नेश कुमार दीक्षित	हीरा अधिकारी

क्र. 6545-2861-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (पुस्तकों रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	सहायक संचालक, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

इन्दौर संभाग

2	कु. रीना शर्मा	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

क्र. 6547-2861-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-द्वितीय लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	सहायक संचालक

(1)	(2)	(3)

इन्दौर संभाग

2	कु. रीना शर्मा	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

भोपाल संभाग

3	डॉ. कान्ता देशमुख	बाल विकास परियोजना अधिकारी.

क्र. 6549-2790-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

स. क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इंदौर संभाग

1	श्री फग्जांन साहिल खान	सहायक कराधान
2	कु. दीप्ति केशरवानी	सहायक कराधान
3	श्री अशोक कुमार गौतम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
4	श्री विमलेश राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
5	श्री राधेश्याम सोलंकी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
6	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
7	श्री कमलेश पाटीदार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
8	श्री कुम्भकरण मौर्य	वाणिज्यक कर अधिकारी (सश्रेय).
9	कु. चित्रांशी डामोर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
10	कु. मधुबाला कश्यप	कराधान सहायक

भोपाल संभाग

11	कु. सायमा फातमा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्रीमती ऋतु द्विवेदी चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी
13	श्री सुनील सैनी	कराधान सहायक
14	कु. आकांक्षा सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्रीमती मनीषा वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
16	श्री नरेन्द्र कुमार कोरी	कराधान सहायक
17	कु. सिम्मी जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
18	श्रीमती निशांकी सिघंई	वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
19	श्री कुमार अभिषेक खरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
20	श्री मुकुल कुमार गुप्ता	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
21	श्रीमती अंजली मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
22	श्री प्रकाश सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
23	श्री शैवाल सिंह	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
24	श्री संतोष कुमार बघेल	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
25	डॉ. आलोक मिश्रा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

निम्नस्तर

रीवा संभाग

1	श्री विजय कुमार द्विवेदी	कराधान सहायक
	इन्दौर संभाग	
2	श्री रामेश्वर चौहान	कराधान सहायक
3	कु. नीलम गणावा	कराधान सहायक
4	श्री के. पी. सिंह	कराधान सहायक
5	श्री अम्बाराम मौर्य	कराधान सहायक
6	सुश्री सविता मकवाना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	श्री भीमसिंह मसानिया	कराधान सहायक
8	श्री हेमन्त खेर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9	श्री महेश बघेल	कराधान सहायक
10	श्री जयशंकर शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्रीमती समिता मुराड़िया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	भोपाल संभाग	
12	कु. अंजू अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
14	कु. पूनम परिहार	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
15	श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
	जबलपुर संभाग	
16	कु. शीतल मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी
17	सुश्री आरती यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	कु. सुलेखा नामदेव	कराधान सहायक
19	श्री रामानन्द मेश्राम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
20	श्री दिनेश सिंह तौमर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

क्र. 6551-2870-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री चक्रपान सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पी.सी.ओ.).

क्र. 6553-2869-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र-विद्युत संस्थापनाऐं (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	सागर संभाग	
1	श्री अतुल जैन	उपयंत्री

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-96.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सरोज गुप्ता** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती सरोज गुप्ता** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सरोज गुप्ता** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलम्ब (उनसठ दिन विलम्ब से) से दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती सरोज गुप्ता** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती सरोज गुप्ता** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती सरोज गुप्ता** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को उनके पति को तामील कराया गया. अतः **श्रीमती सरोज गुप्ता** को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती सरोज गुप्ता** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **श्रीमती सरोज गुप्ता** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती सरोज गुप्ता** द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती सरोज गुप्ता** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती सरोज गुप्ता** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती सरोज गुप्ता** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सरोज गुप्ता** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-97.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती आरती** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती आरती** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती आरती** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती आरती** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती आरती** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती आरती** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः **श्रीमती आरती** को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती आरती** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती आरती** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती आरती** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती आरती** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती आरती** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती आरती** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती आरती** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-99.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष

का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को कारण बताओ सूचना-पत्र अक्टूबर 2013 को उनके पति द्वारा तामील कराया गया. अतः **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को तामीली दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-100.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया

गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती आरती गुप्ता** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती आरती गुप्ता** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती आरती गुप्ता** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती आरती गुप्ता** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती आरती गुप्ता** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती आरती गुप्ता** को कारण बताओ सूचना-पत्र अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अत: **श्रीमती आरती गुप्ता** को तामीली दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती आरती गुप्ता** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **श्रीमती आरती गुप्ता** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती आरती गुप्ता** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती आरती गुप्ता** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती आरती गुप्ता** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती आरती गुप्ता** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती आरती गुप्ता** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-101.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती आशा पाण्डेय** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख

के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती आशा पाण्डेय** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती आशा पाण्डेय** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती आशा पाण्डेय** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती आशा पाण्डेय** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती आशा पाण्डेय** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः **श्रीमती आशा पाण्डेय** को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती आशा पाण्डेय** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **श्रीमती आशा पाण्डेय** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती आशा पाण्डेय** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती आशा पाण्डेय** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती आशा पाण्डेय** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती आशा पाण्डेय** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती आशा पाण्डेय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-102.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती कल्पना** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती कल्पना** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती कल्पना** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती कल्पना** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती कल्पना** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती कल्पना** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अत: **श्रीमती कल्पना** को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती कल्पना** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती कल्पना** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती कल्पना** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती कल्पना** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती कल्पना** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती कल्पना** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती कल्पना** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-103.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती पार्वती साहू** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती पार्वती साहू** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती पार्वती साहू** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती पार्वती साहू** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती पार्वती साहू** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती पार्वती साहू** को कारण बताओ सूचना-पत्र को 9 अक्टूबर 2013 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अत: **श्रीमती पार्वती साहू** को दिनांक 24 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती पार्वती साहू** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **श्रीमती पार्वती साहू** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती पार्वती साहू** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती पार्वती साहू** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती पार्वती साहू** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती पार्वती साहू** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती पार्वती साहू** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-09-13-तीन-104.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती बबिता सेन** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, **श्रीमती बबिता सेन** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती बबिता सेन** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती बबिता सेन** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्रीमती बबिता सेन** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती बबिता सेन** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अत: **श्रीमती बबिता सेन** को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती बबिता सेन** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी

सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती बबिता सेन** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्रीमती बबिता सेन** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती बबिता सेन** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती बबिता सेन** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती बबिता सेन** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती बबिता सेन** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-128-10-तीन-106.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन** के आम निर्वाचन में **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी किया गया, फिर पुनः दिनांक 13 जून 2014 को जारी किये गये. कारण बताओ सूचना-पत्र में **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 19 जून 2014 को उनके देवर द्वारा तामील किया गया. अतः **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को दिनांक 4 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-128-10-तीन-107.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन** के आम निर्वाचन में **सुश्री बबलीबाई जग्गू** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री बबलीबाई जग्गू** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी किया गया, फिर पुनः दिनांक 13 जून 2014 को जारी किये गये. कारण बताओ सूचना-पत्र में **सुश्री बबलीबाई जग्गू** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 19 जून 2014 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को दिनांक 4 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **सुश्री बबलीबाई जग्गू** द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त **सुश्री बबलीबाई जग्गू** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **सुश्री बबलीबाई जग्गू** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री बबलीबाई जग्गू** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री बबलीबाई जग्गू** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-128-10-तीन-108.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन** के आम निर्वाचन में **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी किया गया, फिर पुन: दिनांक 13 जून 2014 को जारी किये गये. कारण बताओ सूचना-पत्र में **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 19 जून 2014 को तामील कराया गया. अत: **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को दिनांक 4 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** आयोग कार्यालय में उपस्थित हुईं. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री मुन्नीबी हकीम खान** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-251-10-तीन-110.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती विनीता** अध्यक्ष पद की **अभ्यर्थी** थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्रीमती विनीता** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती विनीता** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती विनीता** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **श्रीमती विनीता** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती विनीता** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अत: **श्रीमती विनीता** को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती विनीता** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जनू 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **श्रीमती विनीता** द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त **श्रीमती विनीता** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती विनीता** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती विनीता** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती विनीता** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती विनीता** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** का पार्षद या

अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-251-10-तीन-111.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती कमला देवी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्रीमती कमला देवी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती कमला देवी** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती कमला देवी** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **श्रीमती कमला देवी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती कमला देवी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अतः **श्रीमती कमला देवी** को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती कमला देवी** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जनू 2014 में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती कमला देवी** द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त **श्रीमती कमला देवी** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती कमला देवी** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती कमला देवी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती कमला देवी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती कमला देवी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-251-10-तीन-112.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सविता शर्मा** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्रीमती सविता शर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सविता शर्मा** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, **श्रीमती सविता शर्मा** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **श्रीमती सविता शर्मा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती सविता शर्मा** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अतः **श्रीमती सविता शर्मा** को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती सविता शर्मा** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती सविता शर्मा** को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली उपरान्त **श्रीमती सविता शर्मा** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती सविता शर्मा** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती सविता शर्मा** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती सविता शर्मा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सविता शर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-251-10-तीन-113.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती हलीमुन्निशा** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्रीमती हलीमुन्निशा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती हलीमुन्निशा** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, **श्रीमती हलीमुन्निशा** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **श्रीमती हलीमुन्निशा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती हलीमुन्निशा** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अत: **श्रीमती हलीमुन्निशा** को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्रीमती हलीमुन्निशा** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती हलीमुन्निशा** को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली उपरान्त **श्रीमती हलीमुन्निशा** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती हलीमुन्निशा** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती हलीमुन्निशा** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती हलीमुन्निशा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती हलीमुन्निशा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-211-10-तीन-115.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** के आम निर्वाचन में **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 मई 2011 को तामील कराया गया. अतः **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को दिनांक 9 जून 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-211-10-तीन-116.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** के आम निर्वाचन में **श्री मनोज कुमार** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम

दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **श्री मनोज कुमार** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री मनोज कुमार** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **श्री मनोज कुमार** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 मई 2011 को तामील कराया गया. अत: **श्री मनोज कुमार** को दिनांक 9 जून 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री मनोज कुमार** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री मनोज कुमार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-211-10-तीन-117.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** के आम निर्वाचन में **मो. राशिद** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **मो. राशिद** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **मो. राशिद** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **मो. राशिद** को आयोग द्वारा

कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **मो. राशिद** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **मो. राशिद** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 26 मई 2011 को तामील कराया गया. अत: **मो. राशिद** को दिनांक 8 जून 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **मो. राशिद** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी **मो. राशिद** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **मो. राशिद** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **मो. राशिद** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **मो. राशिद** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **मो. राशिद** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-211-10-तीन-118.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** के आम निर्वाचन में **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 मई 2011 को उनकी पत्नी द्वारा तामील किया गया. अत: **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को दिनांक 9 जून 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को कारण बताओ सूचना-पत्र की

तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-249-10-तीन-120.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक अप्रैल 2014 को तामील कराया गया. अतः **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को तामीली दिनांक से अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** आयोग

कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री दिव्य शंकर शुक्ल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-249-10-तीन-121.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्री रामसागर कोल** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्री रामसागर कोल** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रामसागर कोल** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्री रामसागर कोल** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्री रामसागर कोल** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री रामसागर कोल** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2014 को तामील कराया गया. अतः **श्री रामसागर कोल** द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. अभ्यावेदन की स्वीकार्यता एवं परीक्षण हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा को अभ्यावेदन प्रेषित किया गया. परीक्षण उपरान्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि "अभ्यर्थी **श्री रामसागर कोल** द्वारा लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और गरीबी के कारण अपनी पुरानी सायकल से रेडियो चुनाव चिन्ह का प्रचार-प्रसार करता था, इसके कारण उसका चुनाव में कोई खर्च नहीं हुआ." वस्तुतः अभ्यर्थी द्वारा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थिता के लिए निक्षेप राशि जमा की गई है, जिसके कारण अभ्यर्थी द्वारा यह कहना कि चुनाव में कोई राशि व्यय नहीं हुई, प्रसंगिक नहीं है. प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री रामसागर कोल** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री रामसागर कोल** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री रामसागर कोल** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रामसागर कोल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-249-10-तीन-122.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्री सत्यदेव** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, **श्री सत्यदेव** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री सत्यदेव** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्री सत्यदेव** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **श्री सत्यदेव** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री सत्यदेव** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2014 को तामील कराया गया. अत: **श्री सत्यदेव** को दिनांक 28 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्री सत्यदेव** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्री सत्यदेव** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त **श्री सत्यदेव** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री सत्यदेव** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री सत्यदेव** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री सत्यदेव** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सत्यदेव** को इस प्रकार चुने जाने के

लिये तथा **नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-176-10-तीन-124.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् छतरपुर** के आम निर्वाचन में **सुश्री अनीता संजय** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 थी. **सुश्री अनीता संजय** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र (परिशिष्ट-36) दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री अनीता संजय** द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **सुश्री अनीता संजय** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में **सुश्री अनीता संजय** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **सुश्री अनीता संजय** को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली की प्रति में उल्लेख है कि संबंधित को नोटिस तामील करने लगातार तीन-चार दिन गया लेकिन मोहल्ले में संबंधित का निवास होना नहीं पाया गया. पंचनामा कराया गया. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र दिनांक 11 मार्च 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री अनीता संजय** के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री अनीता संजय** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **सुश्री अनीता संजय** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली में लेख है **सुश्री अनीता संजय** को काफी तलाश किया. कई जगह पूछताछ की लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी. पंचनामा बनाया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री अनीता संजय** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री अनीता संजय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् छतरपुर, जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-50-12-तीन-126.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् अंजड, जिला बड़वानी** के आम निर्वाचन में **श्री शेखरचंद पाटनी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, **श्री शेखरचंद पाटनी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री शेखरचंद पाटनी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्री शेखरचंद पाटनी** को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 मई 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री शेखरचंद पाटनी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री शेखरचंद पाटनी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 जून 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जुलाई 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि **श्री शेखरचंद पाटनी** द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र तामीली उपरान्त आज दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री शेखरचंद पाटनी** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री शेखरचंद पाटनी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी ने उक्त सुनवाई तिथि उपरान्त अपना आवेदन-पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2014 एवं मूल निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग को प्रस्तुत किया. अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया गया कि ''मैं अपने व्यापार के कारण पिछले दो वर्ष से दूसरे राज्य में रह रहा हूं. मेरे चुनाव में मेरे अभ्यार्थी द्वारा इस मामले की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हो पाई थी. मुझे इस मामले की जानकारी आपके नोटिस क्रमांक एफ-67-50-12-तीन-738, दिनांक 14 अगस्त 2014 के द्वारा प्राप्त हुई है. यथावत मैं व्यय का लेखा रजिस्टर आपको भिजवा रहा हूं तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं स्वयं वहां प्रस्तुत नहीं हो सकूंगा.''

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री शेखरचंद पाटनी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री शेखरचंद पाटनी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् अंजड, जिला बड़वानी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-18-10-तीन-128.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला भिण्ड** के आम निर्वाचन में **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 10 अगस्त 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 15 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 17 जुलाई 2014 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1 अगस्त 2014 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ''अभ्यर्थी **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली दिनांक 17 जुलाई 2014 को कराने के उपरान्त भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला भिण्ड** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 67-247-10-तीन-155.—आवेदक **मो. मुस्तकीम आजम** मुसलमान अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी नगर परिषद् हनुमना ने यह आवेदन दिनांक 28 जुलाई 2014 को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-67-247/10/तीन/597, दिनांक 26 मार्च 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल 2014 को प्रकाशित) पर पुनर्विचार करने के लिये प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा उन्हें 05 वर्ष के लिये निरर्हित किया गया है.

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि—नगर परिषद् हनुमना का आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 को सम्पन्न हुआ था. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अन्तर्गत आवेदक को निर्वाचन व्यय लेखा चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन की विहित समयावधि के भीतर अर्थात् दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को निर्वाचन परिणाम घोषित हुआ. अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन लेखा दिनांक 18 जनवरी 2010 (16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 दिनांक 5 जून 1997 ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित दिनांक 6 जून 1997 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित रीति से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर देना था. लेकिन आवेदक द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया.

निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 सितम्बर 2011 जारी किया. जिसका जबाव दिनांक 16 दिसम्बर 2011 को प्रस्तुत किया. अभ्यावेदन का परीक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा से करवाया गया परीक्षण उपरान्त प्रतिवेदित किया गया किया गया कि अभ्यर्थी शपथ पत्र तस्दीक न करा पाने का विलम्ब का कारण बताया गया जिस पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के परीक्षण दिनांक 6 जनवरी 2014 के आधार पर आयोग के आदेश दिनांक 26 मार्च 2014 द्वारा 05 वर्ष के लिये निरर्हित कर दिया गया.

आवेदक **मो. मुस्तकीम आजम** मुसलमान ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में आयोग के उक्त निरर्हता आदेश को निरस्त करने के लिये रिट याचिका क्र. 10100/2014 प्रस्तुत की गयी. प्रकरण में दिनांक 10 जुलाई 2014 आदेश हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष निरर्हता के आदेश को निरस्त करने के संबंध में आवेदक उच्च न्यायालय के आदेश के 15 दिन के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और अवधि के प्रश्न पर ध्यान न देते हुए आयोग गुणदोष के आधार पर पर आवेदक के अभ्यावेदन का निराकरण करें.

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2014 के अनुक्रम में आवेदन पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-घ का पुर्नावलोकन हेतु निवेदन किया गया.

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक नियत तिथि के पूर्व से शपथ-पत्र सत्यापित जमा नहीं कर सकें. अब उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवेदक के उत्तर दिनांक 28 जुलाई 2014 के तथ्यों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया.

इस अनुक्रम में **मो. मुस्तकीय आजम** मुसलमान को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 9 सितम्बर 2014 को आयोग में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ तथा माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्र. 10100/2014 में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2014 में दिये गये निर्देशों सहित सुना गया.

समक्ष में आवेदक ने अपने उत्तर दिनांक 28 जुलाई 2014 में लेखा देर से प्रस्तुत करने का कारण शपथ पत्र दस्तीक न करा पाने जिला मुख्यालय के लिये नियत तिथि को वाहन उपलब्ध न हो सकने के कारण जमा न करने संबंधी तथ्य बताया गया.

तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार संधारित किया गया था, किन्तु नियत तिथि को वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर पाये. विलम्ब का कारण समाधान कारक होने से निर्वाचन व्यय लेखा स्वीकार करने योग्य है.

आयोग द्वारा **मो. मुस्तकीम आजम** मुसलमान के द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 9 सितम्बर 2014 में प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षण पर विलम्ब से प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को मान्य किया गया. म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-घ के अनुक्रम में अभ्यर्थी **मो. मुस्तकीम आजम** मुसलमान की निरर्हता की कालावधि को एतद्द्वारा हटाया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

न्यायालय उपायुक्त, राजस्व संभाग, शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी म.प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 जिला शहडोल (म.प्र.)

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

शहडोल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक 23/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **चंगेरा**, पटवारी हल्का क्रमांक **चंगेरा 02**, तहसील **बुढ़ार**, जिला **शहडोल** से GGS12 ग्राम **देवरी**, पटवारी हल्का क्रमांक **देवरी–05**, तहसील **गोहपारू**, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा /चंगेरा 02	408/493	0.856
		—"—	309/1, 309/2/1, 309/2/3, 309/2/4, 309/2/क, 309/2/ख, 309/2/ग, 309/2/घ, 309/3	0.547
		—"—	329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 329/10, 329/11, 329/11/क, 329/11/ख, 329/12, 329/13, 329/13/1, 329/13/2, 329/14, 329/15, 329/16/क, 329/16/ख, 329/16/ग, 329/17, 329/18, 329/19, 329/20, 329/23, 329/24, 329/25, 329/26, 329/27/क, 329/27/ख, 329/27/ख, 329/28, 329/29, 329/30	2.565

1	2	3	4	5
			326	0.025
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा /चंगेरा 02	330/1, 330/2/क, 330/2/ख	0.302
		—"—	331	0.063
		—"—	369/1, 369/2/क, 369/2/ख, 369/2/ग, 369/2/घ, 369/2/ड़, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7	0.646
		—"—	367/1, 367/2, 367/3	0.130
		—"—	374	0.117
		—"—	373	0.040
		—"—	421/1, 421/2	0.272
		—"—	390	0.158
		—"—	391/1, 391/2, 391/3/क, 391/3/ख, 391/3/ग	0.319
		—"—	392	0.045
		—"—	386	0.010
		—"—	393	0.007
		—"—	395	0.095
		—"—	396	0.132
		—"—	103/4	0.008
		—"—	397	0.065
		—"—	399	0.007
		—"—	398	0.185
		—"—	49	0.020
		—"—	42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11/क/1, 42/11/क/2, 42/11/ख, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17	0.640
		—"—	40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6/क, 40/6/ख, 40/7	0.719
		—"—	48/1, 48/2, 48/3	0.990
		—"—	33/1, 33/2	0.066
		—"—	36	0.073
		—"—	35	0.075
		—"—	38	0.184
		—"—	30	0.004
		—"—	29	0.058
		—"—	28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9/क, 28/9/ख, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13	1.662
		—"—	1/2, 1/3, 1/4	0.614
		—"—	263/2/क, 263/2/ख, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7, 263/8, 263/8/क, 263/8/ख, 263/8/ग, 263/8/घ, 263/8/ ङ., 263/8/च, 263/8/छ, 263/8/ज, 263/8/झ, 263/8/ ञ, 263/8/त, 263/8/थ, 263/8/द, 263/8/ध, 263/8/न, 263/9, 263/10	0.350

1	2	3	4	5
			259/520, 259/520/1, 259/520/2, 259/520/3, 259/520/4	0.101
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा /चंगेरा 02	264	0.175
		—"—	261/2/क, 261/2/ख, 261/2/ग, 261/2/घ, 261/3, 261/4	0.276
		—"—	259, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4	0.011
		—"—	260	0.065
		—"—	353/1, 353/2, 353/3, 353/4/क, 353/4/ख, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/10, 353/11	0.224
		—"—	250/2	0.176
		—"—	240/1, 240/2/क, 240/2/ख, 240/2/ग, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8	0.650
		—"—	232	0.158
		—"—	231	0.028
		—"—	233/1, 233/2, 233/3, 233/4	0.197
		—"—	234	0.077
		—"—	235	0.002
		—"—	148/1, 148/2	0.006
		—"—	133	0.293
		—"—	135	0.031
		—"—	147	0.034
		—"—	140/1/क, 140/1/ख, 140/1/ग, 140/1/घ, 140/2, 140/3/क, 140/3/ख, 140/3/ग, 140/3/घ, 140/3/ड.	0.105
		—"—	146	0.031
		—"—	111	0.007
		—"—	141/1, 141/2	0.076
		—"—	142/1, 142/2, 142/3	0.148
		—"—	143/1, 143/2	0.009
		—"—	120	0.015
		—"—	101	0.068
		—"—	100/1, 100/2, 100/3, 100/4	0.182
		—"—	57	0.010
		—"—	508/1/घ, 508/1/ड़, 508/2, 508/3	0.001
		—"—	55	0.010
		—"—	56/1, 56/2	0.037
		—"—	54	0.001
		—"—	53	0.004
		—"—	93	0.012
		—"—	51	0.007
		—"—	61	0.090
		—"—	492/503	0.252
		—"—	290/1, 290/2, 290/3, 290/4	0.002
		—"—	289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6	0.203

1	2	3	4	5
			288	0.050
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा / चंगेरा 02	285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9, 285/10, 285/11	0.162
			283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5	0.527
			336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6	0.372
			201/1, 201/2	0.146
			183	0.113
			184	0.049
			185	0.025
			11/1, 11/2, 11/3	0.048
			180/512	0.018
			13/1, 13/2	0.241
			12	0.020
			14	0.018
			15	0.056
			16	0.080
			17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5/क, 17/5/ख, 17/6, 17/7	0.578
			211/1, 211/2, 211/3, 211/4	0.579
			249	0.319
			248	0.001
			465/1, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/6/क/1/1, 465/6/क/1/2, 465/6/क/2, 465/6/ख, 465/6/ग, 465/7, 465/8, 465/9/क, 465/9/ख, 465/10, 465/11, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 465/16, 465/17, 465/18, 465/19, 465/20, 465/21, 465/22, 465/23, 465/24, 465/25, 465/26, 465/27, 465/28, 465/29, 465/30, 465/31, 465/32, 465/33, 465/34	0.766
			458/1 , 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 458/8, 458/9	0.556
			456	0.132
			455/1, 455/2	0.017
			454	0.162
			453	0.050
			410/1, 410/2, 410/3	0.186
			412/1, 412/2, 412/3	0.361
			411	0.018
			413, 413/3	0.046
			437/1/क, 437/1/ख, 437/1/ग, 437/1/घ, 437/2	0.166
			441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5	0.122

1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा /चंगेरा 02	493, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5/k, 492/5/kh, 492/5/G, 492/6, 492/7, 492/8, 492/9, 492/10, 492/11, 492/12, 492/13, 492/14, 492/15, 492/16, 492/17, 492/18, 492/19, 492/20, 492/21, 492/22, 492/23, 492/24, 492/25, 492/26, 492/27, 492/28, 492/29, 492/501, 492/502, 492/503	0.394
			414/1, 414/2	0.102
			415	0.032
			435	0.011
			434/1, 434/2, 434/3, 434/4	0.167
			432	0.074
			431	0.013
			416/1, 416/2/क, 416/2/ख, 416/3	0.076
			424/1/क, 424/1/ख, 424/2	0.212
			425	0.001
			370	0.134
			371	0.068

क्रमांक 22/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **छांटा उर्फ नवाटोला**, पटवारी हल्का क्रमांक **छांटा उर्फ नवाटोला**, तहसील **बुढ़ार**, जिला **शहडोल** से GGS12 ग्राम **देवरी**, पटवारी हल्का क्रमांक **देवरी–05**, तहसील **गोहपारू** जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स **रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	छांटा उर्फ नवाटोला	649	0.036
			650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6	0.052
			651/1, 651/2, 651/3	0.072
			652	0.046
			653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8	0.260
			654/1, 654/2, 654/3, 654/4	0.263
			634	0.004
			618	0.120
			620/1, 620/2	0.027
			619	0.050
			621/1, 621/2, 621/3	0.161

1	2	3	4	5
			589	0.115
शहडोल	बुढ़ार	छांटा उर्फ नवाटोला	591	0.024
			507	0.133
			593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5 क, 593/5 ख	0.073
			506	0.008
			504	0.001
			594	0.017
			596/1, 596/2, 596/3	0.015
			595/1, 595/2, 595/3	0.036
			499/1, 499/2, 499/3	0.149
			498	0.054
			497/1, 497/2, 497/3	0.001
			493	0.145
			492	0.104
			603/1, 603/2	0.002
			424/1, 424/2/क, 424/2/ख, 424/2/ग	0.187
			422/1, 422/2, 422/3	0.120
			420	0.002
			421	0.001
			417	0.212
			413	0.146
			404	0.198
			405/1/क, 405/1/ ख, 405/1/ग, 405/1/घ, 405/2/क, 405/2/ख, 405/2/ग	0.189
			406	0.065
			407/1, 407/2, 407/3	0.046
			408	0.094
			409	0.066
			400/1, 400/2, 400/3, 400/4	0.197
			398	0.031
			396	0.004
			397	0.044
			392/1, 392/2	0.313
			390/1, 390/2	0.261
			358	0.129
			389	0.004
			360/1, 360/2, 356	0.249
			362	0.031
			361/1, 361/2	0.002
			363	0.198
			365	0.181
			366	0.107
			367	0.236
			372/1, 372/2, 372/3	0.202
			371/1, 371/2, 371/3	0.321
			307/1, 307/2, 307/3	0.787
			306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7	0.161

1	2	3	4	5
			305/1, 305/2	0.113
शहडोल	बुढ़ार	छांटा उर्फ नवाटोला	302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6	0.080
			303	0.036
			310/1, 310/2, 310/3	0.081
			300/1, 300/2, 300/3, 300/700/1 क, 300/700/1 ख, 300/700/1 ग, 300/700/2, 300/700/3/क 1, 300/700/3/क 2, 300/700/3/क 3, 300/700/3/क 4, 300/700/3/क 5	0.148
			53	0.439
			545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5	0.277
			225	0.020
			544/1/क, 544/1/ख, 544/2, 544/687	0.292
			226/1, 226/2, 226/3	0.112
			542	0.032
			541/1, 541/2	0.053
			227/1, 227/2	0.234
			230	0.002
			228/1, 228/2	0.011
			202/1/क, 202/1/ख, 202/2	0.020
			229	0.016
			200/1, 200/2	0.029
			199	0.002
			186	0.109
			185	0.010
			184, 184/2, 184/3	0.062
			183	0.021
			182/1, 182/2, 182/3	0.010
			188/1, 188/2	0.009
			187/1, 187/2, 187/3	0.101
			193	0.053
			194	0.001
			192/1, 192/2	0.069
			191	0.004
			138/1, 138/2	0.044
			255	0.006
			137	0.003
			256	0.010
			257	0.021
			258	0.124
			263	0.106
			271	0.109
			262	0.009
			273	0.045
			272/1, 272/2	0.055
			275	0.040
			279	0.069
			280	0.181

1	2	3	4	5
			282	0.193
			286	0.012
शहडोल	बुढ़ार	छांटा उर्फ नवाटोला	294	0.101
			295/1, 295/2, 295/3, 295/4	0.210
			297	0.082
			296/1, 296/2, 296/3	0.001
			298/1, 298/2	0.172
			56	0.182
			52	0.118
			45/1, 45/2, 45/3, 45/4	0.055
			49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5	0.109
			48/1, 48/2, 48/3, 48/3/2, 48/3/3, 48/4/4/ख	0.268
			51	0.178
			50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/710, 50/714/1, 50/714/2/क, 50/714/2/ख	0.495
			3/1, 3/2, 3/3	0.154
			172	0.003
			169	0.199
			168	0.060
			157	0.154
			156/1, 156/2	0.076
			158/1, 158/2	0.212
			160	0.002
			109	0.014
			108	0.052
			26/1, 26/2	0.318
			103	0.012
			97	0.020
			27	0.017
			95/1, 95/2	0.144
			30/1, 30/2	0.205
			70/1, 70/2, 70/718/1, 70/718/2	0.014
			69	0.130
			68	0.104
			61/1, 61/2	0.100
			60	0.001
			673	0.086
			55	0.092

क्रमांक 30/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **नौगई**, पटवारी हल्का क्रमांक **नौगई–01**, तहसील **बुढ़ार**, जिला **शहडोल** से GGS12 ग्राम **देवरी**, पटवारी हल्का क्रमांक **देवरी–05**, तहसील **गोहपारू**, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	नौगई / नौगई 01	527/617	0.061
			527/1, 527/2 क, 527/2 ख, 527/2 ग	0.355
			537/1, 537/2, 537/3, 537/4	0.231
			544	0.432
			545	0.008
			628/1, 628/2, 628/3, 628/4	0.448
			629	0.118
			627/1, 627/2, 627/3	0.090
			626	0.176
			550/1, 550/3	0.219

1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	नौगई / नौगई 01	547/1/क, 547/1/ख, 547/1/ग, 547/2, 547/3, 547/4	0.890
			590	0.005
			589/1	0.438
			589/2	
			588/1, 588/2, 588/3, 588/4	0.431
			587/1, 587/2/क, 587/2/ख, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6	0.113
			460/1, 460/2	0.341
			461/1, 461/2/क, 461/2/ख, 461/2/घ, 461/3/ग	0.131
			462/616	0.200
			462/1, 462/2, 462/3, 462/4	0.264
			409/1, 409/2, 409/3, 409/4	0.064
			408	0.052
			407	0.062
			405/1, 405/2	0.054
			406	0.007
			412	0.068
			404/1, 404/2	0.180
			396/1, 396/2	0.130
			392	0.048
			397	0.001
			391/1, 391/2	0.297
			388	0.060
			390/1, 390/2	0.062
			364	0.015
			375/1, 375/2	0.234
			365	0.192
			366	0.101
			367	0.017
			368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5	0.030
			369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5	0.114
			192/1, 192/2	0.195
			191	0.109
			193	0.017
			190/1, 190/2	0.168
			198/1, 198/2	0.024
			189/1, 189/2	0.303
			205	0.005
			204/1, 204/2, 204/3, 204/4/क, 204/4/ख, 204/4/ग, 204/5	0.246
			208	0.014
			207	0.271
			68	0.424
			225	0.017

1	2	3	4	5
			64	0.335
शहडोल	बुढ़ार	नौगई / नौगई 01	63/1	0.119
			63/2	0.001
			53	0.040
			54	0.068
			62/1, 62/2	0.021
			55/1, 55/2, 55/3, 55/4	0.017
			56	0.122
			22/1, 22/2/क, 22/2/ख, 22/3, 22/4/क, 22/4/ख, 22/5	0.211
			57/1, 57/2	0.127
			60/1, 60/2, 60/3, 60/4	0.017
			343/1, 343/2/क, 343/2/ख, 343/2ग, 343/3, 343/4	1.030
			351/1, 351/2/क, 351/2/ख, 351/2/ग	0.051
			352/1, 352/2, 352/3	0.179
			353, 353/4	0.123
			354	0.152
			359	0.188
			358	0.229
			362	0.060
			357	0.173
			596/1, 596/2	0.428
			597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 597/7	0.412
			598/1, 598/2	0.248
			566/1, 566/2, 566/3, 566/3/क, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/8/क, 566/9, 566/10/क, 566/10/ख, 566/10/ग. 566/11, 566/12, 566/12/ख/2, 566/13/क, 566/13/ख, 566/14	1.015
			560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5	0.071
			567	0.039
			559	0.021
			558/1, 558/2, 558/3/क, 558/3/ख, 558/3/ग, 558/3/घ, 558/3/ड.	0.180
			557	0.075
			552/1, 552/2, 552/3, 552/4	0.511
			630	0.111
			102	0.279
			86	0.013
			87/1, 87/2/क, 87/2/ख, 87/3, 87/4	0.043
			85	0.120
			84	0.124
			83	0.146
			76/1, 76/2 क, 76/2 ख	0.294

1	2	3	4	5
			75	0.013
			70	0.207
			50/1, 50/2	0.142
			69	0.009
			66/1, 66/2	0.220
			67	0.067
			52/1, 52/2	0.040
			183/606/1, 183/606/2	0.153
			283	0.016
			282	0.056
			262/1, 262/2	0.044
			286/1, 286/2, 286/3, 286/4	0.324
			214	0.075
			215	0.010
			213/1, 213/2	0.088
			203/1, 203/2, 203/3	0.018
			200/1, 200/2, 200/3, 200/4	0.168
			202/1, 202/2	0.096
			199/1, 199/2	0.130
			240/621	0.530
			313	0.344
			312/1/क/1, 312/1/क/2, 312/1/ख, 312/2/क, 312/2/ख, 312/2/ग, 312/2/घ, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8	0.048
			314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 314/6	0.009
			339	0.300
			346/1, 346/2, 346/3	0.007
			340	0.014
			341	0.150
			342	0.027
			344	0.003
			422	0.053
			424/1, 424/2/क, 424/2/ख, 424/2/ग, 424/3/क, 424/3/ख, 424/3/ग	0.296
			436	0.188
			434/1, 434/2	0.003
			433/1, 433/2, 433/3	0.040
			438/1, 438/2/क, 438/2/ख, 438/2/ग, 438/3	0.308
			439/1, 439/2/क, 439/2/ख, 439/2/ग, 439/2/घ	0.053
			440	0.092
			441	0.028
			444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5	0.002
			443/1, 443/2	0.240

1	2	3	4	5
			442/1, 442/2	0.358
शहडोल	बुढ़ार	नौगई / नौगई 01	501/1, 501/2/क, 501/2/ख, 501/2/ग, 501/2/घ, 501/3/क, 501/3/ख, 501/3/ग	0.004
			491	0.450
			488/1, 488/2क, 488/2/ख, 488/3/क, 488/3ख	0.392
			514	0.412
			517/1, 517/2, 517/3, 517/4	0.184
			533/1, 533/2/क, 533/2/ख, 533/2/ग, 533/2/घ, 533/2/ङ., 533/3, 533/4	0.223
			387	0.064
			389	0.045
			384	0.086
			385	0.040
			386	0.081
			383/1, 383/2, 383/3	0.153
			400	0.020
			468	0.181
			401/1, 401/2	0.025
			470/1, 470/2, 470/3	0.039
			471/1, 471/2	0.089
			472/1, 472/1 ख, 472/2, 472/3	0.520
			143/1, 143/2, 143/3	0.176
			142	0.128
			141	0.036
			140/1, 140/2	0.002
			479	0.144
			482/1, 482/2, 482/3/क, 482/3/ख, 482/4	0.419
			483	0.070
			583/1, 583/2, 583/3	0.344

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एफ. आर. पण्डा, उपायुक्त राजस्व संभाग शहडोल

एवं सक्षम प्राधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 023-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	डोहली	निजी भूमि रकबा 26.53 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 48.01 है. कुल रकबा 74.54	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पटपरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरवंशपुरा	निजी भूमि रकबा 1.72 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 16.88 है. कुल रकबा 18.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब सिंचाई योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मझगवां छक्का	निजी भूमि रकबा 9.02 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.41 है. कुल रकबा 11.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 146-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पटनाकलां	निजी भूमि रकबा 95.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 20.16 है. कुल रकबा 115.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्र. भू-अर्जन-08(अ-82) 2013-14-851.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची

के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	लोंधाझिर	615	0.13	कार्यपालन यंत्री,	पाकरबघर्रा जलाशय योजना
		माल प.ह.नं. 06	616	0.339	जल संसाधन संभाग,	
		रा.नि.मं.	629	0.18	डिण्डौरी.	
		डिण्डौरी.	630	0.05		
			632	0.26		
			633	0.06		
			598	0.15		
			600/2	0.54		
			योग . .	1.709		
		शासकीय भूमि	628	0.100		
			599	0.62		
			597	0.03		
			कुल योग . .	2.459		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-10(अ-82) 2013-14-852.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	छिवली माल	421	0.124	कार्यपालन यंत्री,	पाकरबघर्रा जलाशय योजना
		प.ह.नं. 06	440	1.900	जल संसाधन संभाग,	
		रा.नि.मं.	442	0.050	डिण्डौरी.	
		डिण्डौरी.	449	0.110		
			450	0.492		
			451	0.200		
			योग . .	2.876		
		शासकीय भूमि 439,	443	1.890		
			कुल योग . .	4.766		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-09(अ-82) 2013-14-853.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अमनीपिपरिया	381	2.700	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पाकरबघर्रा जलाशय योजना
		रै. प.ह.नं. 06	382	0.210		
		रा.नि.मं.	386	4.310		
		डिण्डौरी.	387/1	0.403		
			387/2	0.403		
			387/3	0.403		
			387/4	0.403		
			371	2.245		
			385	1.328		
			370	0.010		
			379	2.245		
			439	0.550		
			369	0.070		
			378/1	0.130		
			378/2	0.130		
			378/3	0.130		
			योग . .	15.669		
		शासकीय भूमि	437, 380 377, 384	8.988		
			कुल योग . .	24.657		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07(अ-82) 2013-14-854.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	पाकरबघर्रा	1	0.036	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पाकरबघर्रा जलाशय योजना
		माल प.ह.नं. 08	2	0.950		
		रा.नि.मं.	3	1.125		
		डिण्डौरी.	4	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			5	0.630		
			6	0.080		
			9	0.050		
			10	0.530		
			12	1.330		
			15	0.420		
			16/1	0.085		
			16/2	0.085		
			17	0.440		
			473	1.000		
			476	0.010		
			7	1.620		
			19/1	0.140		
			19/2	0.140		
			18/1	0.700		
			18/2	0.900		
			योग . .	10.321		
		शासकीय भूमि	13,11,474, 475, 14	3.120		
			कुल योग . .	13.441		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8479.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	छिन्दी	0.263	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	माथनी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8480.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	महतपुर	0.360	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	माथनी जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8481.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खड़कवार	2.456	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	माथनी जलाशय में अधिकतम जल भराव से प्रभावित निजी मकानों का अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8482.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	माथनी	0.392	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	माथनी लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8475.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	हिरड़ी	0.230	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बेरगांव जलाशय के वेस्ट वेयर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8476.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खड़की	4.631	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	पांढरी जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8477.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	डोब	3.319	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	डोब जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8478.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	0.830	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, बैतूल.	बटकी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 480-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मेरेटोला	1.086	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 482-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बाबूपुर	2.795	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 483-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अमिलिया	0.255	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 485-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	हर्रई	0.851	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 486-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बोदा	0.405	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर में नाला डायवर्सन हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 487-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	टटेहराटोला	1.421	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 488-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बराखुर्द	4.951	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर में नाला डायवर्सन हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 489-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बरहा	0.243	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 485-10-पत्र क्र. भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	टीकरखुर्द	0.607	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.	अधियारी सागर बांध एवं नहर में नाला डायवर्सन हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 01-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण						धारा 11 की	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	नैनविलास	268/1/3	2.023	1.144	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रायसेन	नहर निर्माण हेतु
रायसेन	बेगमगंज	—''—	268/1/2	2.023	0.253	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	268/1/1	2.023	0.261	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	264/1/1	0.445		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	264/1/2	1.813	0.279	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	264/2	1.011		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	257/1	1.603	0.599	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	257/2	1.214		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/1/1	2.023		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/1/2	1.538		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/2	3.800		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/3/1/1	0.390		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/3/1/2	1.390	0.185	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/3/1/3	1.970		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/3/1/4	0.270		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	255, 258/3/2	0.890		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	256/1	0.425		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	256/2	0.283		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	256/3	0.445	0.934	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	256/4	0.688		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	251, 252/1	0.405		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	251, 252/2/1	1.214		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	251, 252/2/2	1.647		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	251, 252/3	2.938	0.226	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	251, 252/4/1	0.615		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	251, 252/4/2	0.809		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	250/2	0.324	0.036	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	250/3	0.320	0.285	—''—	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	नैनविलास	249/1	1.453		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	249/2	0.061	0.095	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	247	1.578	0.261	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	245	1.546	0.154	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	241	0.979	0.107	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	239	0.890	0.057	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	238	1.267	0.131	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	87	0.644	0.021	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	छोला	56/2/1	1.619	0.043	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	157/2	1.182	0.110	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	मढिया निवारी	201/1/1	0.801	0.059	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	274	1.454	0.058	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	हप्सिली	174/1	1.169	0.220	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	174/2	2.538		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	178/1/1/1	0.405	0.036	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	178/1/1/2	0.210		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	178/1/2	0.607		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	178/2	1.226		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	544/4	0.809	0.051	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	गंभीरिया	204/1/1	1.764	0.022	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	पिपलिया बखतसिंह	66	0.198	0.063	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	63	0.603	0.198	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	57/1	1.044	0.479	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	57/2	1.044		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	57/3	1.048		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	57/4	1.047		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	खिरिया नारायणदास	155	3.431	0.076	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	200/1	0.437	0.029	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	पांडाझिर	203	1.141	0.110	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	195/1/1/1	0.992	0.120	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	195/1/1/2	0.991		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	195/1/2	0.296		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	195/3	0.161		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	193/1	0.271	0.010	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	193/2	0.267		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	149/1	1.177	0.076	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	149/2	1.174		—''—	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	पांडाझिर	141	1.971	0.024	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	56, 57, 59/2, 62/2/1/4	0.793	0.062	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	56, 57, 59/2 62/2/1/5	1.461	0.101	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	56, 57, 59/2 62/2/1/6/1	0.138	0.040	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	56, 57, 59/2 62/2/1/6/2	0.510		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	56, 57, 59/2 62/2/1/6/3	0.510		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	56, 57, 59/2 62/2/1/6/4	0.510		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	पिपलिया बरई	125	0.652	0.008	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	328/2	0.445	0.001	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	329/5	2.129	0.177	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	329/6	1.416	0.114	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	329/4	1.194	0.016	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	उचेरा	127	0.640	0.147	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	128	0.368	0.058	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	129/1	0.122	0.032	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	129/2	0.122		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	130	0.413	0.063	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/1	0.500		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/2	0.500		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/3	0.500		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/4	0.500		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/5	0.500	0.179	—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/6	0.500		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/1/7	0.854		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/2/1	0.809		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/2/2	0.774		—''—	—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	79/2/3	0.217		—''—	—''—

नोटः—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. 5062-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	पटेहरा	6.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	पड़ारी जलाशय योजना
		कुठुलिया	0.700		
		सेमरीटोला	0.500		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भड़ाली जलाशय योजना, नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. जी. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 447-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	जरूवा नरवार	1.164	कार्यपालन यंत्री, ना.वि.संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला सतना म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के जरूवा नरवार माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 448-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	खरौधी	2.591	कार्यपालन यंत्री, ना.वि.संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के खरौधी माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 449-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नादनशिवाप्रसाद	1.418	कार्यपालन यंत्री, ना.वि.संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के नादनशिवाप्रसाद माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 449-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	चपना	5.617	कार्यपालन यंत्री, ना.वि.संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के चपना माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 464-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	तमोरिया	0.780	कार्यपालन यंत्री, ना.वि.संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के तमेरिया माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 446-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	तमोरिया	0.780	कार्यपालन यंत्री, ना.वि.संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा 01 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8472.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	खमालपुर	0.182	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्बलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल	बैतूल-परासिया (राज्य) मार्ग-43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8473.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013,

(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	डेहरी	0.200	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्बलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल	बैतूल-परासिया (राज्य) मार्ग-43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-8474.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोज़न
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	रानीपुरा	4.337	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्बलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल	बैतूल-परासिया (राज्य) मार्ग-43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

पत्र क्र. 1729-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	वहेलिया भाठ	2.600	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1731-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	पड़रिया खुर्द	4.250	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1733-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	पड़रियाकलां	4.870	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1735-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	करही लामी	15.280	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1737-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	कर्रा	2.950	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1739-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	सेहरूआ नं. 2	2.075	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1741-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	पहाड़िया-366	0.650	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1743-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	व्यौहरा-460	5.509	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1745-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	पहाड़िया-365	11.640	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1747-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	व्यौहरा-462	2.975	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1749-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बेलवा पैकान-396	11.175	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1751-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	ब्यौहरा-461	4.860	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1753-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कुऑ-88	1.950	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1755-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	नर्रहा-310	11.712	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1757-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	ऐरा	15.670	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1759-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सिधौल	2.298	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1761-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नवागॉव कोठार-311	3.125	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1763-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सुकुलगवां	1.200	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1765-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कोठार	8.050	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1767-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	चन्देहरी	0.650	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1769-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	उमरी-51	12.337	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1771-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	महुआ-498	5.496	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1773-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	आंवी-27	3.569	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1775-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	उलही कला-53	0.801	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1777-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बेलवा पैकान-396	3.044	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 7 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1779-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पलिया-349	0.463	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1781-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भीर-477	2.723	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1783-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रघुराजगढ़-574	3.875	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सब-माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1785-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कांटी-84	2.095	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सब-माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1787-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 सबमाइनर क्र. 1,2,3 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पलिया-352	19.195	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सब-माइनर क्र. 1, 2, 3 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1789-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मोहनगढ़-511	3.314	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1791-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 सबमाइनर क्र. 5, 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मेथोरी-530	8.653	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब-माइनर क्र. 5, 6 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1793-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र. 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मेथोरी-529	1.511	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब-माइनर क्र. 6 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1795-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र. 4 की ब्रांच माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डेल्ही-242	11.039	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब-माइनर क्र. 4 की ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1797-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र. 3, 4 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सेमरीकला-617	6.101	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब-माइनर क्र. 3, 4 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1799-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भोथी-481	0.018	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1801-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नगमा-265	2.576	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1803-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	उलहीखुर्द-55	1.599	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1805-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी

है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	कल्ला	6.875	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1807-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नदहा-308	4.058	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1809-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	हर्दी-630	7.584	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1811-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 5,6,7,8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	देवगांव-286	12.240	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 5,6, 7, 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1813-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में

की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सतगढ़-580	0.881	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1815-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	रिमार	2.000	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1817-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	कोरिगवां	18.440	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1819-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके साने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	वरदहा	0.703	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1821-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरिक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	महुली-496	0.625	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1823-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरिक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मिसिरा-528	0.975	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1825-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	सिलपरी	4.750	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1827-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	अमरपाटन	दीनापुर	12.180	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1829-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बांसा-30	22.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1831-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	डिठौरा	5.250	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1833-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	अजमाइन	2.820	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1835-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	जमुना	27.090	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1837-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टीकर-227	8.925	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1839-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	शुकुलगवां-613	2.433	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1841-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	दुवहाई-282	4.750	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1843-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	धोवखरा-298	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1845-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	धोवखरी	1.078	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1847-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अमिलकी-23	6.520	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1849-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गहिरा-152	8.950	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1851-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गोविन्दगढ़-173	17.010	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1853-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	टेढ़वा	1.975	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1855-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पगरा	15.220	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1857-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	झिरिया वाजपेयी	3.213	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1859-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पैपखरा	1.725	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1861-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	झिरिया कोपरिहन	1.025	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1863-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नैकिन	8.712	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1865-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	दादर	4.950	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1867-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पुरवा	3.600	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1869-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	कौवाढ़ान	0.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1871-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरी	2.150	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1873-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरा	2.700	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1875-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मिर्चवार	3.668	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1877-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कठेरी-42	5.090	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1879-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	उमरी	17.900	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1881-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	खड्डा	6.725	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1883-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	चोरगढ़ी	2.968	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1885-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	लोही	9.225	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1887-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	खाम्हा	1.323	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1889-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पड़रिया	1.750	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1891-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिहरिया	1.250	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1893-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब-माइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दुवगमा-240	2.951	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब-माइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1895-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब-माइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मिसिरगवां-477	4.431	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब-माइनर क्र. 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1897-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब-माइनर क्र. 8 में से ब्रान्च माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	जरहा-169	1.660	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब-माइनर क्र. 8 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1899-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सब-माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कुइयाखुर्द-93	7.778	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सब-माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1901-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 3 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नवागाँव 311	14.024	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 3 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1903-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 4 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नवागाँव 312	6.330	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 4 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1905-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 5 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	टटिहरा 221	5.979	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 5 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1907-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	महगना 514	1.798	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1909-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	ढाढर 248	1.776	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1911-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पकरा	4.775	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1913-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	जोकिहा	1.838	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1915-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	रकरिया	7.050	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1917-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	चौड़ियार	7.538	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1919-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4, 5 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पटेहरा 356	5.964	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4, 5 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1921-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सिलपरी 599	4.985	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1923-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10, 11 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अमवा 10	3.953	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10, 11 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1925-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पतैला 342	0.486	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1927-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	अटरा कला 4	2.190	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1929-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अतरैला 17	1.004	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1931-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धवैया 289	3.351	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1933-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मिसिरगवां 476	3.239	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1935-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	टिकुरी 192	5.658	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1937-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मोहगढ़ 512	3.536	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1939-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नरोरा 309	1.875	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1941-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	झिरिया कोठार	2.875	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1943-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मड़वा 493	13.160	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1945-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कचूर 64	0.525	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1947-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नौवस्ता 325	1.128	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1949-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	धौचट 302	3.460	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1951-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वहेलिया 423	2.250	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1953-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	जोन्ही 213	8.920	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1955-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कौवाढ़ान 114	7.410	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1957-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वैजनाथ 457	4.320	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1959-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मध्येपुर 507	14.490	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1961-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खम्हरिया-127	4.300	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1963-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	आनन्दगढ़	13.510	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1965-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत

करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	भोलगढ़-483	11.480	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग के लिए जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1967-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ककलपुर	35.310	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, के लिए जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1969-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	करौंदी	5.508	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व, विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1971-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पोड़ी खुर्द	14.920	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1973-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत

करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	लोखरी	4.670	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1975-प्रशा.-भू-अर्जन-2014..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	हिनौती-636	1.750	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1977-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	मझगवां	12.240	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1979-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बढौरा	6.430	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1981-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बांधा	36.010	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1983-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	इटमा	11.830	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1985-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी

वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	देवरा नं. 2	13.240	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1987-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	रामपुर बाघेलान	8.600	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1989-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	कटिगा	2.755	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1991-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	सगौनी	3.625	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1993-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	तपा	3.200	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1995-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	करही वृत्त	17.140	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1997-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	झण्ड	7.120	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1999-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पतेरी-346	1.645	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2001-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी

वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	जमुना	1.650	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2003-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	तुर्की	10.910	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2005-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी

वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	कूद	10.230	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2007-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	तिवनी	1.798	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2009-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के

तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कपुरी-68	2.710	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2011-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	महिदल-509	6.950	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2013-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खोखम-142	1.405	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व, विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.डी.एस. अग्निवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स, जबलपुर

[प्रारूप धारा 4 भू-अर्जन अधिनियम धारा 17 (1) के समावेश सहित]

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013/ 22 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13-भू. अ. अ.-11-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	ग्राम-खिरवा बरगवां प.ह.नं. 76 नं. बं. 589/157	0.11 कुँआ बोर	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 सिहोरा.	लमकना वितरक की आलासुर माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्र.-भू-अर्जन-846/02(अ-82)2013-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—खाल्हे भवरखण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—50.851 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
59	3.750	-
60	3.080	-
61	0.300	-
63	1.003	-
64	2.034	-
39	1.980	-
37	4.010	-
65	0.079	-

(1)	(2)	(3)
68	1.048	–
73	0.300	–
72	0.200	–
71	0.750	–
70	0.630	–
29	0.350	–
30	2.350	–
28	0.850	–
25	0.095	–
23	0.039	–
35	0.420	–
36	0.410	–
39	1.980	–
40	0.045	–
48	1.041	–
49	1.080	–
50	1.065	–
17	2.079	–
18	0.920	–
45	1.250	–
43	2.013	–
41	0.400	–
34/1	0.950	–
34/2	0.400	–
6	1.880	–
5	1.680	–
8	0.450	–
3	1.430	–
51	0.160	–
53	1.530	–
55	0.660	–
54	0.028	–
57	0.072	–
58	1.054	–
67/1	1.000	–
67/2	2.470	–
88	0.740	–
89	0.085	–
56	0.091	–
46	0.620	–
निजी भूमि . .	50.851	–
शासकीय भूमि . .	–	3.588
62, 2, 38, 66, 69, 24, 21, 31, 32, 33, 44, 47, 7, 52		
योग . .		3.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भवरखण्डी जलाशय हेतु ग्राम खाल्हे भवरखण्डी शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-847-04(अ-82)2013-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—गोयरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.460 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
204	0.100	–
203	0.360	–
योग . .	0.460	0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोयरा जलाशय हेतु ग्राम नेवसा बॉयी तट एवं दॉयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-848-06(अ-82)2013-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—पडरिया मा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
303	0.640	–
301	0.100	–
300	0.120	–
297	0.020	–
298/3	0.060	–
255/2	0.050	–
298/1	0.120	–
595	0.030	–
59	0.080	–
302	–	0.110
योग . .	1.220	0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोपालपुर जलाशय हेतु ग्राम पड़रिया मा. बॉयी तट एवं दॉयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-849-03(अ-82)2013-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—नेवसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
291	0.100	–
218	0.390	–
271	0.050	–
155	0.300	–
159	0.020	–
153	–	0.042
योग . .	0.860	0.0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोयरा जलाशय हेतु ग्राम नेवसा बॉयी तट एवं दॉयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-850-05(अ-82)2013-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—गोपालपुर मा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.870 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
177	0.360	–
179	0.230	–

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
45	0.210	–
180	0.380	–
184	0.330	–
176	0.230	–
182	0.400	–
175	0.260	–
299	0.080	–
293/14	0.140	–
293/15	0.150	–
293/16	0.380	–
293/17	0.650	–
293/3	0.070	–
47	–	0.890
181	–	0.200
183	–	0.150
187	–	0.100
178	–	0.020
298	–	0.500
योग . .	3.870	1.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोपालपुरा जलाशय हेतु ग्राम गोपालपुर मा. शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 479-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—महाराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.528 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
262/1	0.293
262/2	0.595
263	0.543
265	0.564
267	0.073
268	1.261
269	0.334
270	0.355
282	0.031
283	0.010
284	0.261
285	0.042
286	0.470
279	0.669
280	0.105
281	0.105
258	0.063
259	0.460
261	0.115
248	0.073
245	0.968
244	0.084
106	0.050
246	0.125
247	0.031
256	0.10
255	0.27
253/3	0.480
262/1	0.293
262/2	0.595
263	0.543
265	0.564
267	0.073
268	1.261
269	0.334
270	0.355
282	0.031

(1)	(2)
283	0.010
284	0.261
285	0.042
286	0.470
279	0.669
280	0.105
281	0.105
258	0.063
259	0.460
261	0.115
248	0.073
245	0.968
244	0.084
106	0.050
246	0.125
247	0.031
256	0.10
255	0.27
253/3	0.480
262/1	0.293
262/2	0.595
263	0.543
265	0.564
267	0.073
268	1.261
269	0.334
270	0.355
282	0.031
283	0.010
284	0.261
285	0.042
286	0.470
279	0.669
280	0.105
281	0.105
258	0.063
259	0.460
261	0.115
248	0.073
245	0.968
244	0.084
106	0.050
246	0.125
247	0.031
256	0.10
255	0.27
253/3	0.480
निजी खाता भूमि योग . .	8.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—महाराजपुर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 481-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—मन्नी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.221 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/3	0.040
75/4	0.040
75/5क	0.054
75/5ख	0.035
74/211/3	0.081
74/1	0.166
79/7	0.144
79/8	0.144
93	0.159
95/3	1.517
95/1क/क 1	0.244
95/1क/क 2	1.351
95/1क/क 3	0.671
117/2क	1.038
157/2	0.101
120/1	1.438
95/2	1.517
106/2	1.586
115/1क 1	1.920
142/2	0.160
130/1 क/2	0.350
137/1 क/1	0.243
154/2	0.631
101/4	0.591
निजी खाता भूमि योग . .	14.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है--अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 484-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—दतौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.505 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
37/4	0.230
37/5	0.230
37/6	0.081
37/7	0.081
37/8	0.391
53/1	0.101
53/2	0.223
53/3ख	0.222
142/1	0.101
142/2	0.101
142/3	0.101
142/4	0.101
151	0.145
152	0.234
161/1	0.182
158/1	0.202
161/2	0.183
161/3 क 3	0.146
160/1	0.095
161/3 ख/3	0.040
160/2	0.096
161/3 क/2	0.146
172/1	0.405
172/2	0.405
283	0.263
निजी खाता भूमि योग . .	4.505

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्र. 8489-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—खुटपिपरिया, प. ह. नं. 23/4, ब. नं. 51, रा. नि. मंडल-चांद.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—
06.126 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
249/1	0.024
246/2, 247/2	0.216

(1)	(2)	
246/3, 247/3	0.106	
246/1, 247/1	0.508	
14/1, 15/1, 16/1, 17/1-2, 237/1	0.538	सेमर-01,
2/2, 3	0.736	सेमर-01, साज-09 पलाश-01, शूबबूल-02, बेहडा-01, बेर-01.
2/3	0.040	
9/7, 10/7	0.142	शूबबूल-02
9/1, 10/3, 11/1	0.364	शूबबूल-03, गुरार-04, नीम-01
9/2, 10/2, 11/2	0.422	शीशम-01, नीम-02, गुरार-04, हडुआ-02, बबूल-01, बेर-06
9/5, 10/5, 11/5	0.540	शीशम-01, पलाश-03, हडुआ-4, शूबबूल-02, बेर-06
22/6	0.110	पलाश-03, नीम-01, जमरासी-02, गुरार-01, बबूल-01, बेर-02.
22/4, 22/5	0.158	
22/13	0.066	
28/2, 49	0.500	तेंदू-01, नीम-01, इमली-01, गुरार-01, नींबू-01, जाम-01, आम-02
22/7	0.330	पलाश-03, बेर-01, बबूल-01
22/11	0.008	
48/6	0.102	बबूल-01
39/5, 44/5, 47/5	0.096	
39/4, 44/4, 47/4	0.004	
38/3	0.072	
48/4	0.072	
39/2, 44/2, 47/3	0.078	
38/4	0.102	
48/5	0.078	
38/5	0.056	
39/6, 44/6, 47/6	0.078	
48/7	0.066	
38/2	0.060	
48/1	0.050	
38/1	0.056	नीम-01, जामुन-01, पलाश-01
35, 36, 37, 40, 41	0.268	
33, 34	0.080	आम-01, तेन्दू-01, पलाश-03
योग . .	06.126	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8490-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—खैरीखुर्द, प. ह. नं.31, ब. नं. 54, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—
06.842 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	
33/5, 33/6	0.068	
33/8	0.168	
40/2, 41/1, 42/1, 43/3	0.212	
41/2, 42/2, 43/2	0.020	
143/13	0.068	बबूल-02, आम-01
143/3-5-8-9	0.140	बबूल-01,
143/2, 144/2, 145/8	0.188	
144/1, 144/5, 145/1	0.024	बबूल-02, पलाश-02, हडुआ-02.
250, 251/1	0.242	
144/14, 144/5, 145/11	0.076	
143/4, 143/12, 144/3-4, 145/9	0.164	बबूल-01, नीम-14
149/1	0.480	बबूल-01
149/2	0.152	
149/3	0.252	बबूल-01
160	0.044	
149/5	0.074	
163	0.224	
162, 164, 165, 166	0.442	
257/2, 258/3, 260/3, 263	0.162	
257/1, 258/2, 260/1	0.384	बबूल-01
246/1	0.212	महुआ-01
243/2, 244/2, 245	0.212	महुआ-01
243/5, 244/6, 247/5	0.198	
243/4, 244/5, 247/4	0.126	
171/7	0.298	
243/1, 244/1, 247/1	0.066	
249	0.108	
246/2, 252	0.024	
237/1	0.116	तेन्दू-01
251/2, 234/1	0.254	बबूल-02
253/2, 253/3	0.016	
212/2, 212/3	0.422	बबूल-01
212/1, 236/2	0.0212	बबूल-01, नींबू-01, सागौन-02.
170/5	0.218	
170/1-2	0.076	
207/1, 207/2	0.130	
204, 205	0.246	
207/3	0.122	
210	0.034	
196/1, 197/4	0.168	
योग . .	06.842	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8491-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—डुंगरिया, प. ह. नं. 18, ब. नं. 113, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—
04.178 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	
680/1	0.092	
681	0.103	
682/1-2-3, 683/1-2-3	0.036	बबूल-02, आम-02
684/1-2-3	0.163	
685/1-2-3	0.169	
590/3	0.064	
592	0.010	
590/5	0.072	
590/6	0.086	
590/7	0.082	
581/2, 582/3, 584/2, 585/2	0.175	पलाश-01, नीम-01, आम-01.
605/1	0.079	
584/3, 585/3, 605/2	0.025	कौआ-02, आम-01
582/4	0.169	
582/2	0.089	
688/1-2	0.057	
689/1-2	0.124	महुआ-01
670/4	0.096	महुआ-02
669/1, 670/3	0.144	
670/7, 671/3	0.087	महुआ-03
670/8, 671/4	0.160	जामुन-02, बबूल-01
648/6-7-8	0.690	महुआ-03, सागौन-01
646	0.270	
644	0.088	बबूल-02, बेर-03, गिलारी,-01, सागौन-01, नीम-01, कौआ-01, सेमर-01.
639/1	0.072	
597, 606/2	0.221	
596/2, 596/3	0.199	
595	0.195	
598	0.208	
552	0.048	
478	0.105	
योग . .	04.178	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

क्र. 5139-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.265 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
569/1	0.048
569/2	0.048
458/3	0.063
590/1 ख	0.030
585/2	0.040
592/1क	0.036
कुल रकबा . .	0.265

(2) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—देवगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.851 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
791/1क	0.170
791/2क	0.145
792/2	0.048
792/3	0.048
698/2क	0.100
697/3क	0.110
697/1क	0.080
697/4 क	0.120
794/1क/1	0.030
कुल रकबा . .	0.851

(3) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—गडरियाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.085 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
249/2	0.015
335/2क/1	0.050
249/4	0.020
कुल रकबा . .	0.085

(4) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—चिमटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.152 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
215/7	0.040
216/3	0.007
216/4	0.006
216/5	0.007
182/2	0.012
265	0.080
कुल रकबा . .	0.152

(3) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—कोटरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.538 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
298/3	0.047
298/5क	0.046
298/6क	0.041
298/6ख	0.040
298/7क/1क	0.101
298/2क/1ख	0.025
298/1क	0.301
298/7क/1/ख	0.268
298/2ख	0.080
298/2क/2	0.014
298/7क/2	0.038
298/2क/1ग	0.037
299/1	0.127
300/1क	0.075
299/2	0.017
292/1	0.060
292/2	0.030
258/2क	0.030
620	0.030
624	0.039
623/5	0.012
622	0.012
629/2क	0.060
628	0.008
कुल रकबा . .	1.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. जी. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 450-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सोनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.626 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
480/2	0.080
479/2	0.060
480/3	0.090
479/3	0.030
479/1	0.118
478/1	0.005
474	0.005
48/4	0.025
475	0.037
477/2	0.178
405	0.097
46/4	0.024
477/1	0.085
407/2	0.010
406	0.263
46/2	0.020
404	0.005
409	0.146
410	0.090
411	0.010
414	0.081
415/1	0.005
476/1	0.300

(1)	(2)
48/1	0.005
46/1	0.024
412/2	0.005
413/1	0.070
413/2	0.303
315	0.492
316	0.140
1021/315	0.028
317	0.340
330/2	0.010
323	0.097
318	0.097
325	0.069
321	0.210
324	0.040
320	0.005
322	0.121
327/1	0.065
328/2	0.010
327/2	0.081
328/3	0.005
284	0.227
283	0.174
61/1	0.050
62/1	0.122
63	0.081
64/1	0.065
64/2	0.271
65	0.049
66	0.049
67	0.005
45/3	0.150
51	0.010
50	0.486
49	0.300
48/3	0.036
46/3	0.028
47	0.275
45/1	0.032
45/2	0.149
69/2	0.005
70	0.032
79/1	0.049
निजी खाता भूमि योग . .	6.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 451-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—उमराही बिहारीराम
(घ) क्षेत्रफल—10.450 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
168	0.040
169	0.696
169/323	0.005
170	0.005
172/1	0.328
174/1	0.016
172/2	0.295
174/2	0.040
173	0.146
224	0.097
177/3	0.162
177/2/1	0.336
177/2/2	0.097
177/2/3	0.077
178/3	0.113
178/18	0.005
178/15	0.005
178/7	0.020
178/13	0.013
178/6/2	0.055

(1)	(2)	(1)	(2)
178/8	0.022	101/5	0.101
178/9	0.014	99/5	0.019
178/19	0.023	98/5/क	0.162
178/17	0.023	101/4	0.101
178/16	0.011	99/4	0.019
178/5/12	0.023	98/4क1	0.202
178/5/3	0.011	101/3क	0.069
178/5/4	0.015	99/3	0.022
178/5/9	0.020	98/3/क	0.243
178/5/11	0.019	99/1	0.025
178/12	0.011	98/1/क	0.121
178/11	0.024	99/2	0.025
178/10	0.024	98/2/1	0.162
178/14	0.028	100	0.202
178/6	0.100	90/1	0.018
178/5/2	0.021	92	0.010
178/5/5	0.027	93	0.028
178/5/10	0.033	91/1	0.304
178/5/6	0.017	86/1/1	0.206
178/4/6	0.015	91/4	0.094
178/4/7	0.014	91/6	0.039
178/4/24	0.008	91/3	0.154
178/4/22	0.009	91/2	0.081
178/5/1	0.067	91/5	0.003
178/4/1	0.070	91/7	0.090
178/4/20	0.004	86/6/1	0.026
178/5/7	0.032	86/4/ख	0.022
178/5/8	0.014	86/4/ग	0.036
178/5/13	0.004	86/5/च	0.019
178/4/9	0.004	86/5/ड़	0.019
185/1/क	0.555	86/5/घ	0.010
34/1/ङ	0.006	86/4/घ	0.031
187	0.053	86/9	0.010
102/3	0.729	41/2	0.081
102/9	0.032	42/1	0.020
102/2	0.510	42/2	0.003
190/1ङ	0.364	40/1/घ/5	0.017
191/2/ख/1	0.045	40/1/घ/3	0.018
		40/1/घ/2	0.014
		40/1/घ/8	0.009
		40/1/घ/7	0.023

(1)	(2)
40/1/घ/6	0.017
40/1/घ/9	0.026
40/1/घ/10	0.017
40/1/घ/4	0.009
40/1/घ/11	0.017
40/1/घ/12	0.014
40/1/घ/13	0.014
40/1/घ/1	0.102
40/1/ग/1	0.072
40/1/ङ	0.283
40/1/ग/4	0.038
40/1/ग/2	0.017
40/1/ग/3	0.020
40/1/ग/6	0.014
40/1/ग/10	0.009
40/1/ग/11	0.009
40/1/ग/5	0.016
40/1/ग/7	0.014
40/1/ग/9	0.022
40/1/ग/8	0.022
40/1/ग/12	0.006
40/1/ग/13	0.006
40/1/ख/11	0.032
40/1/ख/1	0.010
36/3	0.106
34/1/च	0.006
35/1	0.238
34/1/क	0.006
35/2	0.251
34/1/ख	0.006
34/1/ग	0.006
35/3	0.113
34/1/घ	0.006
175	0.287
102/12/ग	0.002
निजी खाता भूमि योग . .	10.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 452-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—बीदा
(घ) क्षेत्रफल—7.415 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
409/1/घ	0.008
410/1/घ	0.020
417/1/ख	0.081
409/1/ख	0.008
410/1/ख	0.028
417/1/क	0.125
410/1/क	0.056
409/1/क	0.008
410/1/ग	0.036
409/1/ग	0.004
410/2/क	0.035
409/2/क	0.004
410/2/ख	0.035
409/2/ख	0.004
410/2/ग	0.117
409/2/ग	0.013
410/2/घ	0.048
409/2/घ	0.004
408	0.130
933	0.073
931	0.041
932	0.205
410/3	0.324
417/2	0.218
415/1	0.008
416	0.421
887/1	1.003

(1)	(2)
887/2	0.410
872/993/1/4	0.230
872/993/1/1	0.033
935/2/ख	0.283
935/2/क	0.050
934/1क2	0.247
934/1क3	0.332
934/1/ख	0.243
934/2	0.070
930/2	0.005
929/2	0.097
930/1	0.008
939/1014	0.085
941	0.049
942	0.162
940	0.041
945	0.068
934/1क1	0.445
निजी खाता भूमि योग . .	7.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 453-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—भडारी
(घ) क्षेत्रफल—3.979 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
179/1	0.077
185/1	0.005
177/1	0.010
412/1/185/1	0.255
180/1	0.206
185/2	0.138
177/2	0.085
412/2/185/2	0.291
180/2	0.262
179/2	0.081
414/178/1	0.028
414/178/2	0.028
114/1	0.036
114/2/1	0.090
113	0.028
112	0.664
111	0.013
413/112/2	0.088
85/1	0.065
85/2	0.105
413/112/1	0.015
89/1/क	0.036
89/1/ख	0.005
94	0.090
93	0.024
95	0.0162
110	0.020
96/2	0.305
97	0.170
98	0.010
99/1	0.218
175/1/1	0.162
175/1/2	0.010
175/2/1	0.005
निजी खाता भूमि योग . .	3.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 454-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.992 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
483	0.110
484	0.127
485	0.610
479	0.980
334	0.010
341/1	0.010
341/2	0.372
341/3	0.225
342/2	0.170
350/1	0.425
405/1	0.105
350/2	0.194
405/2	0.102
407/555क	0.061
430/2	0.307
350/3	0.202
405/3	0.166
407/555 ख	0.085
430/3	0.307
429/2	0.025
349	0.053
348	0.494
404/2	0.005
404/3	0.178
406	0.138
402	0.230
406/561/क/1	0.020
406/561/ग	0.048
406/561क/2	0.032
466	0.028
407/1	0.328
407/2	0.280
431	0.028
432	0.607
408	0.010
430/1क	0.044
430/1ख	0.040
430/1ग	0.057
424	0.251
425	0.028
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	8.992

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 455-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—8.700 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
553	0.525
548	0.004
555	0.790

(1)	(2)
551	0.121
550	0.425
549	0.150
546	0.190
513/1/क	0.004
544/1	0.052
545	0.090
543	0.874
513/1ख	0.049
513/3	0.004
514	0.291
515	0.740
520	0.801
525	0.100
526	1.235
519	0.003
528/1/क	0.570
442/2	0.084
531/1/क/2	0.016
531/1/क/1/ख	0.427
442/1/ख/2	0.081
442/1/ग/1	0.073
442/1/ख/1	0.081
442/1/क/2	0.073
442/1/क/1	0.028
440/1	0.679
536/1घ	0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	8.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 456-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—असरार
(घ) क्षेत्रफल—8.298 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
593/2	0.380
594/2	0.040
592/2	0.089
593/1	0.330
594/1	0.030
592/1	0.121
221/1013/1/1	0.264
242/1	0.093
259	0.089
260	0.101
221/1013/2	0.200
221/1013/1/2	0.057
241/2/2	0.061
242/2/2	0.010
229/1	0.010
229/2	0.016
228/2	0.193
229/3	0.010
228/3	0.181
223	0.550
228/1	0.181
234/2/क	0.005
234/2/ख	0.169
234/2/ग	0.200
234/2/घ	0.005
235	0.429
236	0.480
240	0.007
239/1	0.020
243	0.005
239/2/क1	0.025
239/2/क/2	0.015

(1)	(2)
239/2/ख	0.020
242/2/1	0.010
241/2/1	0.060
241/1	0.187
257	0.089
258	0.101
222	0.030
261/2	0.010
246	0.005
252	0.280
253	0.057
254	0.044
250	0.230
251	0.040
248	0.140
249	0.012
202/1	0.161
202/2/क	0.142
202/1012/1/क	0.036
202/2/ख	0.137
202/1012/1/ख	0.020
203	0.050
204	0.053
207	0.200
205	0.010
206/1	0.005
6/1	0.028
6/2	0.090
6/3	0.115
1	0.080
2/1	0.195
2/2	0.105
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	8.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 457-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—बर्रेह चौहान
(घ) क्षेत्रफल—0.205 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
13/1	0.205
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 458-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम—उमराही मथुरियान
(घ) क्षेत्रफल—5.272 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
103/1	0.042
101/1	0.773
103/2	0.035
101/2	0.040
99	0.653
96/1ख	0.618
98/1/ख	0.050
97	0.065
74/2	0.005
76/2	0.090
76/1	0.178
76/3	0.336
76/4	0.036
24	0.135
25	0.360
26	0.035
27	0.005
75	0.030
22/2	0.385
23/2	0.405
21	0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	5.272

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 459-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—खेरिया कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.845 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36/2	0.043
36/1	0.039
35/1	0.210
45/1/क/1/क/1/1	0.922
45/1/क/1/ख	0.180
46/1घ/2	0.565
46/1/न/2	0.205
46/1/ग/2	0.535
46/1/ट	0.010
47/5	0.052
47/4	0.182
47/3	0.275
47/2	0.130
48/1	0.267
46/1/ब	0.005
49	0.010
37	0.015
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	3.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 460-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—मझियार

(घ) क्षेत्रफल—4.200 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
313/1ख	1.843
314/1	0.500
314/2/1	1.380
313/1/ग	0.008
314/3	0.180
313/1/क	0.174
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	4.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 461-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—जमताल

(घ) क्षेत्रफल—13.768 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
942/1	0.272
942/2ख	0.075
942/2क	0.130
878/1	0.043
943/1	0.052
877/2	0.063
943/2	0.065
943/3	0.178
770	0.387
329/3	0.167
944/1	0.003
855/2	0.031
855/1ख	0.031
856/1क	0.209
856/1ख/1	0.183
861/2/क	0.140
855/1क2	0.006
856/2	0.135
856/1ख2	0.105
877/3क	0.010
872/1	0.084
873/1	0.027
874/1	0.042
875/1	0.053
873/2/ग	0.012
874/2/ग	0.014
875/2/ग	0.025
872/2/ग	0.042
857/2/ग	0.035
857/4	0.035
857/3	0.035
873/2/ख	0.012
874/2/ख	0.014
875/2/ख	0.025
872/2/ख	0.042
857/2/ख	0.035
873/2/क	0.012
874/2/क	0.014
875/2/क	0.025
872/2/क	0.042
857/2/क	0.035
858	0.084
860/1	0.072
860/2	0.022
861/1/क	0.162
862	0.262
861/2/ख	0.140
863	0.016
868	0.261
869	0.308
864	0.413
865	0.188
867/2	0.005
771	0.003

(1)	(2)
766	0.075
769/1	0.270
769/2	0.209
768/1	0.157
767	0.035
774	0.053
775	0.305
777/1	0.209
330/1	0.042
777/2	0.010
330/2	0.020
777/3	0.178
330/3	0.021
778/1क	0.360
778/1ख	0.025
318	0.063
329/1	0.303
329/2	0.178
328	0.063
327/1/क	0.260
326/1/क	0.052
191/1	0.418
327/1ख	0.275
342	0.711
327/2	0.295
191/4	0.146
214	0.025
346	0.752
347	0.042
348	0.335
197/2	0.055
196	0.102
191/3	0.945
190/2	0.085
191/2	0.470
188	0.005
187	0.021
162/1	0.015
163/1	0.073
164/1	0.010
161/2	0.008
163/2	0.073
164/2	0.130
185/2	0.003
186/2	0.005
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	13.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 462-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—गड़ौली
(घ) क्षेत्रफल—0.300 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
262/1/2	0.006
262/5	0.013
262/2/2	0.017
260/2	0.076
259/2	0.088
257/2	0.010
255/2/2	0.010
262/2/1	0.030
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.